राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अंक : 6]   चौदहवीं विधान सभा के छठे सत्र का पहला दिवस   [संख्या : 01

सोमवार

29 फरवरी, 2016

(राजस्थान विधान सभा की बैठक 11.53 बजे
राजस्थान विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई।)

(श्री कैलाश चन्द्र मेघवाल, अध्यक्ष, पदासीन)

श्री अध्यक्षः नमस्कार, नमस्कार। (व्यवधान) इधर से चालू करते हैं। नमस्कार। नमस्कार। वंदे मातरम होगा।

राष्ट्रीय गीत

वन्दे मातरम् । वन्दे मातरम् ।
सुजलाम् सुफलाम् मलयज शीतलाम्।
शस्य श्यामलाम् मातरम्। वन्दे मातरम् ।
शुभ्र ज्योत्स्ना पुलकित यामिनी।
फुल्ल कुसुमित द्रुमदल शोभिनी।
सुहासिनी सुमधुर भाषिणी ।
सुखदाम् वरदाम् मातरम्।
वन्दे मातरम् । वन्दे मातरम् ।
विशिष्ट सचिव।

सदन पटल पर रखे गये पत्र

राज्यपाल महोदय के अभिभाषण की प्रति

विशिष्ट, सचिव राजस्थान विधान सभाः माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से राज्यपाल महोदय के अभिभाषण की प्रति सदन की मेज पर रखता हूं।

(अभिभाषण की प्रति के लिए कृपया परिशिष्ट देखें)

अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से चौदहवीं राजस्थान विधान सभा के विगत सत्रों में पारित उन विधेयकों का विवरण सदन की मेज पर

(विशिष्ट सचिव)

रखता हूं जिन पर राष्ट्रपति महोदय/राज्यपाल महोदय की अनुमति प्राप्त हो चुकी है।

राष्ट्रपति महोदय से अनुमति प्राप्त विधेयक

1. राजस्थान विशेष आर्थिक जोन विधेयक, 2015 ।

राज्यपाल महोदय से अनुमति प्राप्त विधेयक

1. राजस्थान माध्यमिक शिक्षा (संशोधन) विधेयक, 2015,
2. महर्षि अरविन्द विश्वविद्यालय, जयपुर विधेयक, 2015,
3. राजस्थान पंचायती राज (चतुर्थ संशोधन) विधेयक, 2015,
4. राजस्थान विनियोग (संख्या-5) विधेयक, 2015,
5. राजस्थान पंचायती राज (तृतीय संशोधन) विधेयक, 2015,
6. भूपाल नोबल विश्वविद्यालय, उदयपुर विधेयक, 2015,
7. राजस्थान नगरपालिका (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2015,
8. राजस्थान पुलिस (संशोधन) विधेयक, 2015,
9. कारागार (राजस्थान संशोधन) विधेयक, 2015,
10. राजस्थान आर्थिक पिछड़ा वर्ग (राज्य की शैक्षिक संस्थाओं में सीटों और राज्य के अधीन सेवाओं में नियुक्तियां और पदों का आरक्षण) विधेयक, 2015,
11. राजस्थान विशेष पिछड़ा वर्ग (राज्य की शैक्षिक संस्थाओं में सीटों और राज्य के अधीन सेवाओं में नियुक्तियों और पदों का आरक्षण) विधेयक, 2015,
12. राजस्थान भारतीय चिकित्सा (संशोधन) विधेयक, 2015,
13. राजस्थान तंग करने वाली मुकदमेबाजी (निवारण) विधेयक, 2015,
14. राजस्थान विधियां निरसन विधेयक, 2015, व
15. राजस्थान सहकारी सोसाइटी (संशोधन) विधेयक, 2015 ।

श्री रामेश्वर लाल डूडी (नेता, प्रतिपक्ष): माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से हम निवेदन करना चाह रहे हैं जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के दो विधायकों द्वारा हमारे कांग्रेस के उपाध्यक्ष राहुल गांधीजी के खिलाफ जो टिप्पणी की गयी है, अपमानजनक तरीके से जिस भाषा का प्रयोग

(श्री रामेश्वर लाल डूडी)

किया है, उससे हम आहत हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारा निवेदन है, सम्माननीय विधायक यहां बैठे हैं ...(व्यवधान) हम इससे आहत हैं ...(व्यवधान) बाहर जाना चाहिये। आपने जिस भाषा का प्रयोग किया है, जो अभद्र भाषा का प्रयोग किया है, हम सदन की नेता से निवेदन करना चाहेंगे कि वह इस पर खेद प्रकट करें, उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करावें, उनके खिलाफ कार्यवाही करें। जिस तरीके से उन्होंने जो कृत्य किया है उस कृत्य पर कार्यवाही होनी चाहिये। (व्यवधान)

श्री भवानी सिंह राजावत (लाडपुरा): माननीय अध्यक्ष महोदय, सबसे बड़ा अपराध अगर किया है तो इनके नेता राहुल गांधी ने किया है जो देश-द्रोहियों से जाकर हाथ मिलाया है। (व्यवधान)

श्री रामेश्वर लाल डूडी (नेता, प्रतिपक्ष): ...(व्यवधान) उस परिवार के लिये ...(व्यवधान) क्या वह देशद्रोही हैं, क्या राहुल गांधी देशद्रोही हैं? कल विधायक दल की मीटिंग हुई थी उसमें सदन की नेता ने बड़ा मन दिखाते हुए कहा था कि यह भाषा का प्रयोग गलत है। हम यह निवेदन करना चाह रहे हैं कि सदन की नेता खेद प्रकट कर दें और हमारी मांग पर, अध्यक्ष महोदय, आप दिशा निर्देश दें। हम यह मांग कर रहे हैं, हमारी मांग पर गौर किया जाये कि जिस परिवार ने देश की एकता और अखंडता के लिये, देश की आजादी के लिये बहुत बडी शहादत दे दी, उस परिवार के लिये आपके विधायक जिस तरीके से भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, जिस तरह से अभद्र भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, उस विधायक को आपने यहां बैठा रखा है (व्यवधान)

श्री बनवारीलाल सिंघल (अलवर शहर): ...(व्यवधान) डूडी साहब, देश की एकता और अखंडता जेएनयू में अफजल गुरु के पक्ष में नारे लगते हैं और आपके नेता वहां जाकर बात करते हैं, इससे देश की एकता और अखंडता कायम रहेगी? (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: श्री सुरेन्द्र गोयल।

अध्यादेश

राजस्थान पंचायती राज (संशोधन) अध्यादेश, 2016

श्री सुरेन्द्र गोयल (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से राजस्थान पंचायती राज (संशोधन)

(श्री सुरेन्द्र गोयल)

अध्यादेश, 2016 (2016 का अध्यादेश संख्या-2) सदन की मेज पर रखता हूं। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: श्री पुष्पेन्द्र सिंह।

राजस्थान राज्य विद्युत वितरण प्रबन्ध उत्तरदायित्व अध्यादेश, 2016

श्री पुष्पेन्द्र सिंह (राज्य मंत्री, ऊर्जा): अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से राजस्थान राज्य विद्युत वितरण प्रबन्ध उत्तरदायित्व अध्यादेश, 2016 (2016 का अध्यादेश संख्या-1) सदन की मेज पर रखता हूं। (व्यवधान)

श्री धीरज गुर्जर (जहाजपुर): ...(व्यवधान) इन्होंने राजस्थान की परम्पराओं को दागदार किया है। अत्यन्त धिक्कार का काम किया है। (व्यवधान)

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): माननीय अध्यक्ष महोदय, जनमानस को उद्वेलित करने वाली ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: अब मैं शोकाभिव्यक्ति पर आता हूं। इस शोकाभिव्यक्ति में दोनों तरफ के अच्छे दिग्गज नेताओं का स्वर्गवास हुआ है और मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब इस शोकाभिव्यक्ति में किसी तरह की बाधा नहीं डालेंगे। दोनों तरफ के दिग्गज नेता हैं, यह मेरा निवेदन है।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): नहीं, हम बाधा नहीं डाल रहे हैं।

शोकाभिव्यक्ति एवं श्रद्धांजलि

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण शोकाभिव्यक्ति के इस अवसर पर मैं गत दिनों दिवंगत हुए नेपाल के पूर्व प्रधान मंत्री श्री सुशील कोईराला, लोकसभा के पूर्व अध्यक्ष एवं मध्य प्रदेश के पूर्व राज्यपाल डा. बलराम जाखड, राजस्थान एवं महाराष्ट्र के पूर्व राज्यपाल श्री ओ.पी. मेहरा, झारखण्ड एवं मणिपुर के पूर्व राज्यपाल श्री सैयद अहमद, नागालैण्ड, मणिपुर, त्रिपुरा तथा जम्मू एवं कश्मीर के पूर्व राज्यपाल श्री के.वी. कृष्णा राव; पंजाब एवं गोवा के पूर्व राज्यपाल श्री जे.एफ.आर. जैकब; सिक्किम के राज्यपाल श्री वी. रामाराव; जम्मू एवं कश्मीर के पूर्व मुख्य मंत्री श्री मुफ्ती मोहम्मद सईद, पूर्व सांसद श्री बीरबल राम व श्री प्रभुलाल रावत, इस विधान सभा के पूर्व सदस्य श्री मोहम्मद माहिर आजाद,

(श्री अध्यक्ष)

श्री जियालाल बंशीवाल, श्री चम्पालाल बांठिया, श्री रामकरण सिंह, श्री पृथ्वी सिंह, श्री गुरुशरण छाबड़ा, श्री सुरेश कुमार तथा श्री अब्दुल जब्बार के प्रति संवेदना व्यक्त करते हुए यह शोक प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूं।

सुशील कोईराला, श्री, पूर्व प्रधान मंत्री, नेपाल

नेपाल के पूर्व प्रधानमंत्री श्री सुशील कोईराला का जन्म 12 अगस्त, 1939 को नेपाल के बिराट नगर में हुआ।

नेपाली कांग्रेस की सामाजिक-प्रजातांत्रिक विचारधारा से प्रभावित श्री सुशील कोईराला ने वर्ष 1954 में राजनीतिक जीवन की शुरुआत की। आप नेपाली कांग्रेस की सेंट्रल वर्किंग कमेटी के सदस्य, वर्ष 1996 में महासचिव तथा वर्ष 1998 में उपाध्यक्ष रहे। आप सितम्बर, 2010 से फरवरी, 2016 तक पार्टी के अध्यक्ष भी रहे। वर्ष 2013 में हुए चुनावों में आपके दल को मिली सफलता के उपरांत आप फरवरी, 2014 से अक्टूबर, 2015 तक नेपाल के प्रधानमंत्री पद पर आसीन रहे। सरल व्यक्तित्व के धनी श्री कोईराला नेपाल की प्रगति और विकास के लिए सदैव प्रतिबद्ध रहे।

श्री सुशील कोईराला का दिनांक 9 फरवरी, 2016 को निधन हो गया।

बलराम जाखड़, श्री, पूर्व अध्यक्ष, लोक सभा एवं पूर्व राज्यपाल, मध्य प्रदेश

लोक सभा के पूर्व अध्यक्ष एवं मध्य प्रदेश के पूर्व राज्यपाल डा. बलराम जाखड़ का जन्म 23 अगस्त, 1923 को पंजाब के फिरोजपुर जिले के पंजकोसी में हुआ। आपने बी.ए. (आनर्स) की उपाधि प्राप्त की। आपको गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय, हरिद्वार द्वारा 'विद्या मार्तण्ड' तथा हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय द्वारा 'डा. आव् साइंस' की मानक उपाधि से विभूषित किया गया।

डा. बलराम जाखड़ 1972 से 1979 तक दो बार पंजाब विधान सभा के सदस्य रहे। इस दौरान वर्ष 1973 से 1977 तक राज्य में सहकारिता, सिंचाई तथा ऊर्जा विभाग के उप मंत्री रहे। आप विधान सभा में नेता प्रतिपक्ष भी रहे।

श्री जाखड़ सातवीं, आठवीं, दसवीं तथा बारहवीं लोक सभा के सदस्य रहे। आप आठवीं और दसवीं लोक सभा के लिए सीकर तथा बारहवीं लोक सभा के लिए बीकानेर से सांसद निर्वाचित हुए। आप वर्ष 1980 से 1989 तक दो बार लोक सभा अध्यक्ष के पद पर निर्विरोध निर्वाचित हुए। आपके

(श्री अध्यक्ष)

कार्यकाल के दौरान सदन में उच्च संसदीय परम्पराओं की स्थापना हुई। सांसदों में जागरूकता और ज्ञान की अभिवृद्धि के लिए आपने संसद पुस्तकालय, सूचना एवं शोध सेवाओं के विस्तार को प्रोत्साहित किया। कुशल प्रशासक रहे श्री जाखड़ ने राष्ट्रमण्डल संसदीय संघ तथा अन्तर-संसदीय संघ के सम्मेलनों में भारतीय प्रतिनिधिमण्डल का नेतृत्व किया। आप वर्ष 1991 में केन्द्रीय कृषि मंत्री भी रहे। डा. जाखड़ जून, 2004 से जून, 2009 तक मध्य प्रदेश के राज्यपाल पद पर आसीन रहे।

किसान नेता के रूप में विख्यात डा. जाखड़ ने कृषि में नवीन प्रयोगों के उपयोग पर बल दिया। फल संवर्द्धन के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य के लिए आपको 'भारत उद्यान पण्डित पुरस्कार' तथा 'कृषि रत्न पुरस्कार' से सम्मानित किया गया। भाषाविद् डा. जाखड़ तीन वर्ष तक अखिल भारतीय संस्कृत शिक्षा सोसाइटी के सभापति रहे। लेखन में रुचि रखने वाले डा. जाखड़ की 'पीपल, पार्लियामेन्ट एण्ड एडमिनिस्ट्रेशन', 'न्यू हाराइजन्स इन एग्रीकल्चर इन इण्डिया' तथा 'उद् गार' शीर्षक से पुस्तकें प्रकाशित हुईं। डा. जाखड़ के निधन से देश ने एक कुशल प्रशासक, विद्वान संसदविद् तथा प्रयोगधर्मी किसान नेता खो दिया है।

डा. बलराम जाखड़ का दिनांक 3 फरवरी, 2016 को निधन हो गया।

ओ.पी. मेहरा, श्री, पूर्व राज्यपाल, राजस्थान एवं महाराष्ट्र

राजस्थान एवं महाराष्ट्र के पूर्व राज्यपाल श्री ओ.पी. मेहरा का जन्म 19 जनवरी, 1919 को लाहौर में हुआ। आपने पंजाब विश्वविद्यालय से इतिहास में स्नातकोत्तर की उपाधि प्राप्त की।

श्री ओ.पी. मेहरा का नवम्बर, 1940 में भारतीय वायु सेना में चयन हुआ। आप सेना में विभिन्न पदों पर रहते हुए जनवरी, 1973 में चीफ आव् एयर स्टाफ बने। सैन्य सेवाओं से जुड़ी अनेक संस्थाओं से सम्बद्ध रहे श्री मेहरा वर्ष 1960 से 1963 तक इन्स्टीट्यूट आव् आर्मामेन्ट टैक्नालाजी, पुणे के डीन तथा वर्ष 1971 से 1973 तक हिन्दुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड, बंगलौर के चैयरमेन रहे। आप नवम्बर, 1980 से मार्च, 1982 तक महाराष्ट्र तथा 6 मार्च, 1982 से 4 जनवरी, 1985 एवं 1 फरवरी, 1985 से 3 नवम्बर, 1985 तक राजस्थान के राज्यपाल पद पर आसीन रहे।

खेलों में विशेष रुचि रखने वाले श्री मेहरा ने ओलम्पिक एसोसियेशन

(श्री अध्यक्ष)

के प्रेसीडेण्ट सहित अनेक खेल संघों के विभिन्न पदों पर कार्य किया। आप दिल्ली गोल्फ क्लब तथा दिल्ली रेस क्लब के प्रेसीडेण्ट भी रहे।

श्री मेहरा को उत्कृष्ट सेवाओं के लिए वर्ष 1968 में परम विशिष्ट सेवा पदक तथा वर्ष 1977 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। आपको शिरोमणी अवार्ड, राजीव रत्न अवार्ड तथा हैल्प एज इण्डिया गोल्डन अवार्ड से भी सम्मानित किया गया।

श्री ओ.पी. मेहरा का दिनांक 8 नवम्बर, 2015 को निधन हो गया।

सैयद अहमद, श्री, पूर्व राज्यपाल, झारखण्ड एवं मणिपुर

झारखण्ड एवं मणिपुर के पूर्व राज्यपाल श्री सैयद अहमद का जन्म 9 मार्च, 1945 को उत्तर प्रदेश के फैजाबाद में हुआ। आपने एम.ए. तथा पी.एच.डी. की उपाधियां प्राप्त कीं।

श्री सैयद अहमद महाराष्ट्र विधान सभा में पांच बार सदस्य रहे। इस दौरान आप महाराष्ट्र सरकार में पर्यावरण, कपड़ा उद्योग, आवासन, मरम्मत एवं पुनर्निर्माण सहित अनेक विभागों के मंत्री रहे। श्री अहमद सितम्बर, 2011 से मई, 2015 तक झारखण्ड के राज्यपाल रहे। आप 16 मई, 2015 को मणिपुर के राज्यपाल बनाये गये तथा मृत्यु पर्यंत इस पद पर आसीन रहे।

आल इण्डिया कांग्रेस कमेटी के सदस्य रहे श्री अहमद पार्टी की राज्य इकाई के अध्यक्ष सहित अनेक पदों पर रहे। सामाजिक कार्यों में रुचि रखने वाले श्री अहमद केन्द्रीय हज समिति के सदस्य, महाराष्ट्र राज्य हज समिति के सभापति, महाराष्ट्र कल्याण केन्द्र तथा अवध सांस्कृतिक सोसाइटी के प्रेसीडेण्ट रहे। आप केन्द्रीय वक्फ परिषद् के सदस्य तथा ग्रीन मुम्बई मूवमेंट के संरक्षक भी रहे।

लेखन में रुचि रखने वाले श्री अहमद की आत्मकथा 'पगडंडी से शहर तक' तथा अनेक पुस्तकें प्रकाशित हुईं।

श्री सैयद अहमद का दिनांक 27 सितम्बर, 2015 को निधन हो गया।

के.वी. कृष्ण राव, श्री, पूर्व राज्यपाल, जम्मू एवं कश्मीर

जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल श्री के.वी. कृष्ण राव का जन्म 16 जुलाई, 1923 को आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में हुआ। आपको आंध्र विश्वविद्यालय द्वारा डाक्ट्रेट आव् डी.लिट, श्री वैंकटेश्वर विश्वविद्यालय द्वारा

(श्री अध्यक्ष)

डाक्टर आव् ला तथा तेलगू विश्वविद्यालय द्वारा डाक्टर आव् लेटर्स की मानद उपाधियों से सम्मानित किया गया।

श्री के.वी. कृष्ण राव वर्ष 1942 में भारतीय सेना से जुड़े तथा सेना में जनरल सहित विभिन्न पदों पर रहते हुए अपनी सेवाएं दीं। श्री राव ने द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान बर्मा, नार्थ वेस्ट फ्रन्टियर एवं बलूचिस्तान में अपनी सेवाएं दीं। आपने वर्ष 1947-48 तथा वर्ष 1971 के भारत-पाक युद्ध में भी सक्रिय भूमिका निभाई। आप नेशनल डिफेंस एकेडमी के फाउन्डर इन्स्ट्रक्टर रहे। श्री राव मार्च, 1982 से जुलाई, 1983 तक अपनी सेवा के सर्वोच्च पद चीफ्स आव् स्टाफ कमेटी के चेयरमैन रहे। सेना में आपकी उत्कृष्ट सेवाओं तथा असाधारण नेतृत्व, साहस और कौशल के लिए आपको परम विशिष्ट सेवा पदक प्रदान कर सम्मानित किया गया।

श्री राव जून, 1984 से जुलाई, 1989 तक उत्तर-पूर्वी राज्य नागालैण्ड, मणिपुर तथा त्रिपुरा के राज्यपाल पद पर आसीन रहे। इस दौरान मई से जुलाई, 1989 तक आपके पास मिजोरम के राज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार भी रहा। श्री राव जुलाई, 1989 से जनवरी, 1990 तथा मार्च, 1993 से मई, 1998 तक दो बार जम्मू कश्मीर के राज्यपाल पद पर आसीन रहे। अपने कार्यकाल के दौरान आपने इन राज्यों में शांति स्थापना के सम्बन्ध में उल्लेखनीय कार्य किये।

श्री राव इण्डिया इन्टरनेशनल सेन्टर, नेशनल स्पोर्टस क्लब आव् इण्डिया, डिफेंस सर्विसेज आफिसर्स इन्स्टीट्यूट सहित अनेक संस्थाओं के आजीवन सदस्य रहे।

श्री के.वी. कृष्ण राव का दिनांक 30 जनवरी, 2016 को निधन हो गया।

जे.एफ.आर. जैकब, श्री, पूर्व राज्यपाल, पंजाब और गोवा

पंजाब और गोवा के पूर्व राज्यपाल श्री जे.एफ.आर. जैकब का जन्म वर्ष 1923 में तत्कालीन बंगाल प्रेजीडेन्सी के कलकत्ता में हुआ। आपने स्नातक की उपाधि आफिसर्स ट्रेनिंग स्कूल, महू से प्राप्त की। आपने इंग्लैण्ड तथा अमेरिका की आर्टिलरी स्कूल से भी ग्रेजुएशन किया।

श्री जे.एफ.आर. जैकब ने द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान वर्ष 1942 में ब्रिटिश इंडियन आर्मी के सैन्य अधिकारी के रूप में अपने कैरियर की शुरुआत

(श्री अध्यक्ष)

की। स्वतंत्रता के बाद आप भारतीय सेना से जुड़े। आप वर्ष 1963 में ब्रिगेडियर और 1967 में मेजर जनरल बनाये गये। 1969 में आप ईस्टर्न कमांड के चीफ ऑव् स्टाफ बनाये गये। आपने सेना में लेफ्टिनेंट जनरल सहित अनेक पदों पर अपनी सेवाएं दीं। आपने वर्ष 1965 के भारत-पाक युद्ध में सेना का नेतृत्व किया। वर्ष 1971 में बांग्लादेश की आजादी के लिए भारत-पाकिस्तान युद्ध के दौरान आपने असाधारण शौर्य का प्रदर्शन करते हुए निर्णायक भूमिका निभाई।

श्री जैकब अप्रैल, 1998 से नवम्बर, 1999 तक गोवा तथा नवम्बर, 1999 से मई, 2003 तक पंजाब के राज्यपाल पद पर आसीन रहे। श्री जैकब को असाधारण सैन्य सेवाओं के लिए परम विशिष्ट सेवा मैडल से सम्मानित किया गया। आपने पुस्तक 'सरेण्डर एट ढाका : बर्थ आफ ए नेशन' तथा आत्मकथा 'एन ओडिसे इन वार एवं पीस: एन आटोबायोग्राफी' भी लिखी।

श्री जे.एफ.आर. जैकब का दिनांक 13 जनवरी, 2016 को निधन हो गया।

वी. रामा राव, श्री, पूर्व राज्यपाल, सिक्किम

सिक्किम के पूर्व राज्यपाल श्री वी. रामा राव का जन्म 12 दिसम्बर, 1935 को तत्कालीन मद्रास प्रेजीडेन्सी के मछलीपट्टनम में हुआ।

श्री वी. रामा राव वर्ष 2002 से 2007 तक सिक्किम के राज्यपाल पद पर आसीन रहे। आप 1966 से 1984 तक लगातार चार बार आंध्र प्रदेश विधान परिषद् के सदस्य निर्वाचित हुए। विधान परिषद् के अंतिम कार्यकाल के दौरान आप भारतीय जनता पार्टी विधायक दल के नेता भी रहे।

श्री रामा राव 1956 में राजनीति जीवन की शुरूआत करते हुए जन संघ से जुडे। आप वर्ष 1993 से 2001 तक दो बार आन्ध्र प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष तथा वर्ष 2002 से 2007 तक पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रहे।

श्री रामा राव उस्मानिया विश्वविद्यालय की सीनेट के सदस्य भी रहे। आन्ध्र प्रदेश उच्च न्यायालय में अधिवक्ता रहे श्री वी. रामा राव राज्य वित्त निगम, लघु उद्योग विकास निगम तथा दक्षिण मध्य रेलवे कर्मचारी संघ के अध्यक्ष भी रहे।

श्री वी. रामा राव का दिनांक 17 जनवरी, 2016 को निधन हो गया।

मुफ्ती मोहम्मद सईद, श्री, पूर्व मुख्य मंत्री, जम्मू एवं कश्मीर

जम्मू एवं कश्मीर के पूर्व मुख्य मंत्री श्री मुफ्ती मोहम्मद सईद का जन्म 12 जनवरी, 1936 को अनंतनाग जिले के बिजबेहरा में हुआ। आपने

(श्री अध्यक्ष)

एस.पी.कालेज, श्रीनगर से स्नातक तथा अलीगढ़ विश्वविद्यालय से अरेबिक हिस्ट्री में स्नातकोत्तर और विधि स्नातक की उपाधियां प्राप्त कीं।

श्री मुफ्ती मोहम्मद सईद वर्तमान बारहवीं जम्मू कश्मीर विधान सभा में अनंतनाग से विधायक थे। वर्ष 1962 में दाचिनिपोरा निर्वाचन क्षेत्र से प्रथम बार निर्वाचित होने वाले श्री सईद पश्चात्वर्ती विधान सभाओं में भी सदस्य रहे। श्री सईद वर्ष 1972 से 1977 तक जम्मू कश्मीर विधान परिषद के सदस्य भी रहे। आप जम्मू कश्मीर सरकार में कृषि एवं सहकारिता विभाग के उप मंत्री तथा शिक्षा, निर्माण एवं शहरी विकास विभाग के मंत्री रहे। श्री सईद नवम्बर, 2002 से नवम्बर, 2005 जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री रहे।

आप 01 मार्च, 2015 को जेकेपीडीपी-भाजपा गठबंधन सरकार में मुख्यमंत्री बने तथा मृत्यु पर्यंत पद पर आसीन रहे। मुख्यमंत्री के रूप में आपने जम्मू कश्मीर में युवाओं की बेरोजगारी दूर करने तथा राज्य के चहुंमुखी विकास के लिए निरन्तर प्रयास किया।

श्री सईद वर्ष 1986 से 1989 एवं 1992 से 1996 तक दो बार राज्य सभा के सदस्य रहे। आप नौवीं एवं बारहवीं लोकसभा के सदस्य भी रहे। श्री सईद केन्द्र सरकार में पर्यटन तथा गृह मामलात मंत्रालयों के केबिनेट मंत्री भी रहे। आप संसद में गृह विभाग की सलाहकार समिति सहित विभिन्न समितियों के सदस्य रहे।

वर्ष 1975 में प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष रहे श्री सईद ने जुलाई, 1999 में जम्मू कश्मीर पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी का गठन किया।

श्री मुफ्ती मोहम्मद सईद का दिनांक 7 जनवरी, 2016 को निधन हो गया।

बीरबल राम, श्री, पूर्व सांसद एवं सदस्य

पूर्व सांसद एवं विधायक श्री बीरबल राम का जन्म 30 जनवरी, 1936 को गंगानगर जिले के मिर्जेवाली मेर ग्राम में हुआ। आपने मेट्रिक तक शिक्षा प्राप्त की।

श्री बीरबल राम चौथी एवं पांचवीं विधान सभा में संगरिया निर्वाचन क्षेत्र से कांग्रेस के विधायक रहे। आप सातवीं, आठवीं तथा दसवीं लोक सभा में सांसद भी रहे। आप जन समस्याओं के निराकरण के लिए सदैव प्रयत्नशील रहे।

(श्री अध्यक्ष)

वर्ष 1952 में ग्राम पंचायत के सदस्य रहे श्री बीरबल राम ने गरीबों के उत्थान के लिए अनेक महत्वपूर्ण कार्य किए।

श्री बीरबल राम का दिनांक 19 नवम्बर, 2015 को निधन हो गया।

प्रभुलाल रावत, श्री, पूर्व सांसद

पूर्व सांसद श्री प्रभुलाल रावत का जन्म 24 अप्रैल, 1937 को बांसवाडा जिले के छोटी बडरेल ग्राम में हुआ। आपने उच्च प्राथमिक स्तर तक शिक्षा प्राप्त की।

श्री प्रभुलाल रावत आठवीं तथा दसवीं लोक सभा में बांसवाडा निर्वाचन क्षेत्र से कांग्रेस (आई) के सांसद रहे। आप वर्ष 1972 से 1977 तक जिला कांग्रेस कमेटी (आई), बांसवाड़ा के अध्यक्ष रहे। श्री रावत बांसवाड़ा के जिला प्रमुख भी रहे।

श्री रावत ने पिछड़ी जनजातियों के उत्थान और उनमें व्याप्त सामाजिक कुरीतियों को दूर करने के लिए कार्य किया तथा सरकार द्वारा समय-समय पर चलाए गए विभिन्न कार्यक्रमों को जन-जन तक पहुंचाया।

श्री प्रभुलाल रावत का दिनांक 13 अक्टूबर, 2015 को निधन हो गया।

मोहम्मद माहिर आजाद, श्री, पूर्व सदस्य

पूर्व सदस्य श्री मोहम्मद माहिर आजाद का जन्म 11 जुलाई, 1957 को जयपुर में हुआ । आपने एम.काम., एम.ए., एलएलबी तथा डिप्लोमा इन लेबर लॉ की उपाधियां प्राप्त कीं।

श्री मोहम्मद माहिर आजाद नौवीं, ग्यारहवीं तथा बारहवीं विधान सभा में विधायक रहे। आप नौवीं विधान सभा में झुन्झुनूं तथा ग्यारहवीं एवं बारहवीं विधान सभा में नगर निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचित हुए। श्री आजाद नौवीं विधान सभा में जनता दल, ग्यारहवीं विधान सभा में बहुजन समाज पार्टी तथा बारहवीं विधान सभा में इंडियन नेशनल कांग्रेस के विधायक चुने गये। विधान सभा के कार्यकाल के दौरान आप जनलेखा समिति, अधीनस्थ विधान सम्बन्धी समिति, प्राक्कलन समिति ख तथा कार्य सलाहकार समिति के सदस्य और प्रश्न एवं संदर्भ समिति के सभापति रहे। आप सभापति तालिका के सदस्य तथा बहुजन समाज पार्टी विधायक दल के नेता भी रहे।

श्री आजाद राजस्थान प्रदेश युवा लोकदल के अध्यक्ष, राजस्थान जनता दल के अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के प्रान्तीय अध्यक्ष, लोकदल के प्रान्तीय

(श्री अध्यक्ष)

महासचिव तथा जनता दल के प्रदेश उपाध्यक्ष रहे। आप इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रदेश महासचिव तथा विधायक पर्यावरण मंच एवं जनता दल संसदीय बोर्ड व कोर ग्रुप के सदस्य भी रहे। विभिन्न सामाजिक संस्थाओं से सम्बद्ध रहे श्री आजाद राजस्थान मुस्लिम प्रोगेसिव फ्रन्ट, मोमिन नौजवान मोर्चा, यूथ वैल्फेयर आर्गेनाइजेशन के अध्यक्ष रहे। आपका जवाहरात उद्योग में संलग्न श्रमिकों की कार्यदशा पर एक अध्ययन (शोध प्रकाशन) भी प्रकाशित हुआ।

श्री मोहम्मद माहिर आजाद का दिनांक 30 अक्टूबर, 2015 को निधन हो गया।

जियालाल बंशीवाल, श्री, पूर्व सदस्य

पूर्व सदस्य श्री जियालाल बंशीवाल का जन्म 21 दिसम्बर, 1951 को दिल्ली में हुआ। आपने डा. अम्बेडकर विद्यालय, दिल्ली से मैट्रिक तक शिक्षा प्राप्त की।

श्री जियालाल बंशीवाल नौवीं तथा दसवीं राजस्थान विधान सभा में दौसा निर्वाचन क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी के विधायक रहे। विधान सभा के कार्यकाल के दौरान आप याचिका समिति, अनुसूचित जाति कल्याण समिति तथा महिलाओं एवं बालकों के कल्याण सम्बन्धी समिति के सदस्य रहे।

दो बार वार्ड मैम्बर रहे श्री बंशीवाल बैरवा महासभा, राजस्थान के प्रान्तीय अध्यक्ष रहे। समाज सेवा में रुचि रखने वाले श्री बंशीवाल लायन्स क्लब, दौसा के अध्यक्ष भी रहे।

श्री जियालाल बंशीवाल का दिनांक 25 सितम्बर, 2015 को निधन हो गया।

चम्पालाल बांठिया, श्री, पूर्व सदस्य

पूर्व विधायक श्री चम्पालाल बांठिया का जन्म 17 फरवरी, 1933 को बाड़मेर जिले के बालोतरा में हुआ। आपने बी.ए., आई. काम, हिन्दी प्रभाकर एवं विशारद की उपाधियां प्राप्त कीं।

श्री चम्पालाल बांठिया आठवीं एवं नौवीं राजस्थान विधान सभा में पचपदरा निर्वाचन क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी के विधायक रहे। विधान सभा के कार्यकाल के दौरान आप राजकीय उपक्रम समिति, नियम समिति, गृह समिति, जनलेखा समिति, विशेषाधिकार समिति तथा यातायात, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभागों की संसदीय परामर्शदात्री समिति के सदस्य रहे।

(श्री अध्यक्ष)

सामाजिक कार्यों में रूचि रखने वाले श्री बांठिया ने स्वतंत्रता आन्दोलन में विद्यार्थी संघ के मंत्री के रूप में भाग लिया। आपने अनेक बार जेल यात्राएं भी कीं। प्रवासी राजस्थानियों के संघ के प्रदेश संयोजक रहे श्री बांठिया जनसंघ, जनता पार्टी एवं भारतीय जनता पार्टी के विभिन्न पदों पर रहे। आपने मासिक पत्र 'ध्येय' का सम्पादन भी किया।

श्री चम्पालाल बांठिया का दिनांक 2 फरवरी, 2016 को निधन हो गया।

रामकरण सिंह, श्री, पूर्व सदस्य

पूर्व सदस्य श्री रामकरण सिंह का जन्म 16 अगस्त, 1928 को कोटपूतली तहसील के कल्याणपुरा खुर्द ग्राम में हुआ। आपने महाराजा कालेज से बी.ए. की उपाधि प्राप्त की।

श्री रामकरण सिंह दूसरी, छठी एवं नौवीं राजस्थान विधान सभा के लिए कोटपूतली निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचित हुए। आप दूसरी विधान सभा में जनसंघ तथा छठी एवं नौवीं विधान सभा में निर्दलीय विधायक रहे। विधान सभा के कार्यकाल के दौरान आप प्राक्कलन समिति 'ख' तथा कृषि, भेड़ एवं ऊन, मत्स्य, वक्फ व सैनिक कल्याण विभागों की संसदीय परामर्शदात्री समिति के सदस्य रहे।

सामाजिक कार्यों में सक्रिय रहने वाले श्री रामकरण सिंह भारतीय गुर्जर महासभा के महामंत्री एवं उपाध्यक्ष तथा राजस्थान गुर्जर समाज के अध्यक्ष रहे। आप भारतीय जनता पार्टी, किसान प्रकोष्ठ के अध्यक्ष तथा भारत सेवक समाज के उपाध्यक्ष भी रहे।

श्री रामकरण सिंह का दिनांक 4 अक्टूबर, 2015 को निधन हो गया।

पृथ्वी सिंह, श्री, पूर्व सदस्य

पूर्व सदस्य श्री पृथ्वी सिंह का जन्म 3 नवम्बर, 1934 को हुआ। आपने बी.आर. कालेज, आगरा से बी.एससी. की उपाधि प्राप्त की।

श्री पृथ्वी सिंह सातवीं राजस्थान विधान सभा में खानपुर निर्वाचन क्षेत्र से कांग्रेस (आई) के विधायक रहे। विधान सभा के कार्यकाल के दौरान आप सरकारी आश्वासनों सम्बन्धी समिति तथा यातायात, आवासन, रोजगार एवं प्राविधिक शिक्षा विभाग की परामर्शदात्री समिति के सदस्य रहे।

श्री पृथ्वी सिंह अपने सार्वजनिक जीवन में वर्ष 1961 से 1977 तक

(श्री अध्यक्ष)

पंचायत समिति, खानपुर के प्रधान रहे। आप उदयपुर विश्वविद्यालय नियंत्रण मण्डल तथा कारागृह सलाहकार समिति, झालावाड़ के सदस्य भी रहे। सामाजिक कार्यो में रूचि रखने वाले श्री पृथ्वी सिंह झालरापाटन की पशु मेला समितियों से सम्बद्ध रहे।

श्री पृथ्वी सिंह का दिनांक 11 दिसम्बर, 2015 को निधन हो गया।

गुरुशरण छाबड़ा, श्री, पूर्व सदस्य

पूर्व सदस्य श्री गुरुशरण छाबड़ा का जन्म 9 जून, 1949 को सूरतगढ़ में हुआ। आपने साहित्य-सुधाकर की उपाधि प्राप्त की।

श्री गुरुशरण छाबड़ा छठी राजस्थान विधान सभा में सूरतगढ़ निर्वाचन क्षेत्र से जनता पार्टी के विधायक रहे। विधान सभा में आप गरीबों की समस्याओं के समाधान तथा सामाजिक कुरीतियों के उन्मूलन के लिए सदैव प्रयत्नशील रहे।

श्री छाबड़ा ने राज्य में शराबबंदी के लिए लम्बे समय से संघर्ष किया तथा अनेक बार अनशन किया। भारतीय जनसंघ के सदस्य रहे श्री छाबड़ा जनता पार्टी के गठन के समय जनसंघ की कार्य समिति के सदस्य रहे। आप छात्र संसद सूरतगढ़ के प्रधान मंत्री तथा जनता युवा मोर्चा के प्रान्तीय उपाध्यक्ष भी रहे। आपने वर्ष 1970 में श्रीगंगानगर जिले के ऐतिहासिक किसान आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभायी तथा सूरतगढ़ में सस्ते अनाज हेतु आन्दोलन एवं भ्रष्टाचार के विरूद्ध निरन्तर संघर्ष किया। समाज में व्याप्त कुरीतियों को दूर करने के लिए प्रयासरत रहे श्री छाबड़ा ने अनेक बार जेल यात्राएं कीं।

श्री गुरुशरण छाबड़ा का दिनांक 3 नवम्बर, 2015 को निधन हो गया। जीवन पर्यन्त समाज सेवी रहे श्री छाबड़ा की देह मेडिकल कालेज को दान कर दी गयी।

सुरेश कुमार, श्री, पूर्व सदस्य

पूर्व सदस्य श्री सुरेश कुमार का जन्म 14 अगस्त, 1923 को हुआ। आपने विज्ञान में स्नातक की उपाधि प्राप्त की।

श्री सुरेश कुमार छठी राजस्थान विधान सभा में भरतपुर निर्वाचन क्षेत्र से जनता पार्टी के विधायक रहे। विधान सभा में आप पिछड़े वर्ग के लोगों की समस्याओं तथा सामाजिक कुरीतियों के उन्मूलन के लिए सदैव प्रयत्नशील रहे।

(श्री अध्यक्ष)

श्री सुरेश कुमार अपने सार्वजनिक जीवन में वर्ष 1952 से 1962 तक नगरपालिका, भरतपुर के सदस्य रहे। आप द्वितीय विश्व-युद्ध के दौरान भारतीय वायुसेना में पायलट भी रहे। समाजवादी विचारधारा से प्रभावित रहे श्री सुरेश कुमार सोशलिस्ट पार्टी, भरतपुर के जिला मंत्री रहे। आपने समाजवादी आन्दोलन में सक्रिय रूप से भाग लिया तथा जेल यात्रा भी की।

खेलों में रुचि रखने वाले श्री सुरेश कुमार आगरा कालेज की जिम्नास्टिक टीम तथा स्पोर्टस टीम के कप्तान रहे। आप 15 वर्षों तक भरतपुर हाकी संघ के अवैतनिक सचिव तथा एक वर्ष संयुक्त सचिव रहे। श्री सुरेश कुमार डाकतार विभाग कर्मचारी संघ, भरतपुर के अध्यक्ष भी रहे। संगीत एवं अध्ययन में रुचि रखने वाले श्री सुरेश कुमार के विभिन्न पत्र-पत्रिकाओं में अनेक लेख प्रकाशित हुए।

श्री सुरेश कुमार का दिनांक 8 फरवरी, 2016 को निधन हो गया।

अब्दुल जब्बार खां, श्री, पूर्व सदस्य

पूर्व विधायक श्री अब्दुल जब्बार खां का जन्म 9 जुलाई, 1924 को मध्य प्रदेश के जावद में हुआ। आपने मैट्रिक तक शिक्षा प्राप्त की।

श्री अब्दुल जब्बार खां तीसरी राजस्थान विधान सभा में निम्बाहेड़ा निर्वाचन क्षेत्र से भारतीय जनसंघ के विधायक रहे। विधान सभा में आप अपने निर्वाचन क्षेत्र की समस्याओं के समाधान के लिए सदैव प्रयत्नशील रहे।

स्वतंत्रता आन्दोलन में सक्रिय भूमिका निभाने वाले श्री खां ने समाज में व्याप्त कुरीतियों को मिटाने के लिए सामाजिक संघ की स्थापना की। आपने रायल इण्डियन आर्टीलरी, टोंक के वेयर हाउस, निम्बाहेड़ा के म्युनिसिपल बोर्ड सहित कई संस्थानों में कार्य किया। श्री खां कैप्टन यंग स्पोर्टिंग क्लब, निम्बाहेड़ा के सदस्य रहे। आप सोशलिस्ट पार्टी तथा भारतीय जनसंघ के अनेक पदों पर भी रहे।

श्री अब्दुल जब्बार खां का दिनांक 25 जनवरी, 2016 को निधन हो गया।

मैं अपनी ओर से तथा इस सदन के सभी माननीय सदस्यों की ओर से दिवंगतों के प्रति शोक प्रकट करते हुए उनके परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त करता हूं तथा दिवंगत महानुभावों को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि दिवंगत व्यक्तियों की आत्मा को शान्ति प्रदान करें तथा उनके शोकसंतप्त परिजनों को उनका बिछोह सहन करने की शक्ति दें।

(श्री अध्यक्ष)

पठानकोट एयरफोर्स स्टेशन पर आतंकवादी हमले में शहीद सुरक्षाकर्मी

दिनांक 2 जनवरी, 2016 को पठानकोट एयरफोर्स स्टेशन पर आतंकवादियों द्वारा किये गये कायरतापूर्ण हमले में सात सुरक्षाकर्मी शहीद हो गये।

सियाचिन (जम्मू एवं कश्मीर) में हिमस्खलन में शहीद सिपाही

दिनांक 3 फरवरी, 2016 को जम्मू एवं कश्मीर में अत्यधिक ऊंचाई पर हुए हिमस्खलन से वहां स्थित सेना की चौकी चपेट में आ गई। इस प्राकृतिक आपदा में भारतीय सेना के 10 सिपाही शहीद हो गये।

पम्पोर (जम्मू एवं कश्मीर) में 20 फरवरी, 2016 को मुठभेड़ में शहीद कैप्टन व सैनिक

दिनांक 20 फरवरी, 2016 को जम्मू एवं कश्मीर के पुलवामा जिले के पम्पोर में आतंकवादियों के साथ हुई मुठभेड़ में दो कैप्टन सहित पांच सैनिक शहीद हो गये।

मैं कायरतापूर्ण आतंकी हमलों और प्राकृतिक आपदा में शहीद हुए सैनिकों की मृत्यु पर भी शोक प्रकट करता हूं तथा पीड़ित परिवारों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त करता हूं।

माननीय सदस्यगण, कृपया दो मिनट मौन खड़े रहकर दिवंगतों की आत्मा की शान्ति के लिए प्रार्थना करें।

(तत्पश्चात् सदन द्वारा दो मिनट मौन खड़े रहकर दिवंगत आत्माओं को श्रद्धांजलि अर्पित की गयी)

सदन की बैठक मंगलवार, दिनांक 01 मार्च, 2016 के प्रात: 11.00 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की बैठक 12.24 बजे मंगलवार, दिनांक 01 मार्च, 2016 के 11.00 बजे तक के लिये स्थगित हुई)

परिशिष्ट

राज्यपाल महोदय का अभिभाषण

माननीय अध्यक्ष एवं सदस्यगण,

मैं 14वीं विधान सभा के षष्ठम् सत्र में आप सभी माननीय सदस्यों एवं प्रदेश की जनता का अभिवादन करता हूं। सबका साथ-सबका विकास के संकल्प के साथ काम कर रही राज्य सरकार द्वारा राजस्थान के चहुंमुखी विकास हेतु गत 2 वर्षों में लिए गए महत्त्वपूर्ण निर्णयों के परिणाम दृष्टिगोचर होने लगे हैं। दूरदर्शी सरकार ने सौर ऊर्जा, खनन, पर्यटन, निवेश प्रोत्साहन, सूचना प्रौद्योगिकी, स्टार्टअप सहित अनेक नई नीतियां जारी की हैं। श्रम कानूनों में संशोधन करने के साथ ही 248 अप्रासंगिक कानून समाप्त करने की अनूठी पहल की है। प्रदेश में निवेश के लिए बने उपयुक्त वातावरण के परिणामस्वरूप रोजगार अवसरों में आशातीत वृद्धि हो रही है।

2. सुराज की परिकल्पना को साकार करने के लिए कटिबद्ध सरकार द्वारा प्रारम्भ किए गए न्याय आपके द्वार, सरकार आपके द्वार, आपका जिला आपकी सरकार तथा राजस्थान सम्पर्क पोर्टल जैसे अभिनव कार्यक्रमों से प्रदेश वासियों की वर्षो से लम्बित समस्याओं का समाधान हुआ है। पेयजल समस्या का स्थायी समाधान करने के लिए मुख्यमंत्री जल स्वालम्बन अभियान 27 जनवरी, 2016 से प्रारम्भ किया गया है। भारत सरकार द्वारा प्रथम चरण में देश के 20 शहरों में जयपुर एवं उदयपुर को स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित करने के लिए चयनित किया गया है।

3. वित्तीय समावेशन एवं परिवार आधारित लाभों को सम्मिलित करते हुए विस्तृत कवरेज के साथ लागू की गई भामाशाह योजना से राज्य के 1 करोड़ से अधिक परिवारों को लाभ मिल रहा है। आरोग्य राजस्थान एवं भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना जैसे नवाचारों से हम स्वस्थ प्रदेश के निर्माण की ओर अग्रसर हो रहे हैं। प्रदेश को आर्थिक रूप से समृद्ध बनाने के लिए कटिबद्ध राज्य सरकार ने निवेश का वातावरण बनाने एवं रोजगार अवसर सृजित करने के लिए सफलतापूर्वक रिसर्जेंट राजस्थान पार्टनरशिप समिट-2015 का आयोजन किया है। इसमें 3 लाख 21 हजार करोड़ रुपये के एमओयू क्रिये गये हैं।

4. राज्य सरकार लगातार राजस्थान को हर क्षेत्र में देश का अग्रणी राज्य बनाने की दिशा में प्रवृत है। विश्व बैंक द्वारा वर्ष 2015 में जारी सूची के अनुसार ईज आफ डूइंग बिजनेस में राजस्थान ने देश में छठा स्थान हासिल

किया है। ईवाई इंडिया अट्रैक्टिवनेस सर्वे 2015 के अनुसार भारत के उभरते हुए निवेश गंतव्यों में जयपुर का देश भर में दूसरा स्थान है। राजस्थान को सर्वाधिक सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने पर भारत सरकार द्वारा पुरस्कृत किया गया है। कौशल भारत कार्यक्रम में निजी आईटीआई की संख्या की दृष्टि से राजस्थान देश में पहले स्थान पर है। स्वास्थ्य विभाग के आशा साफ्ट को राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस रजत पुरस्कार सहित अनेक पुरस्कारों से सम्मानित किया चुका है।

5. राज्य की वार्षिक योजना 2015-16 में 71 हजार 405 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। वार्षिक योजना में सर्वोच्च प्राथमिकता सामाजिक एवं सामुदायिक सेवाओं को प्रदान की गई है।

6. वित्तीय समावेशन, महिला सशक्तीकरण और सेवाओं के बेहतर वितरण के उद्देश्य से 15 अगस्त, 2014 से प्रारम्भ की गई भामाशाह योजना के तहत कुल 1 करोड़ 9 लाख परिवारों के 3 करोड़ 78 लाख व्यक्तियों का नामांकन किया जा चुका है। इनमें से 60 लाख व्यक्तियों को भामाशाह कार्ड वितरित किये जा चुके हैं। वित्तीय समावेशन के क्षेत्र में उल्लेखनीय उपलब्धियों के लिए योजना को भारत सरकार द्वारा जनवरी, 2016 में राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस का स्वर्ण पुरस्कार प्राप्त हुआ है। भामाशाह योजना के प्रथम चरण में सार्वजनिक वितरण प्रणाली, मनरेगा, सामाजिक सुरक्षा पेन्शन इत्यादि योजनाओं के तहत वर्ष 2015 में 1 करोड़ 64 लाख ट्रांजेक्शन के जरिए 1100 करोड़ रुपये की राशि सीधे ही लाभार्थियों के खाते में हस्तांतरित की गई है।

7. भामाशाह योजनान्तर्गत नामांकित बीपीएल, स्टेट बीपीएल, अन्त्योदय व अन्नपूर्णा में चयनित परिवारों की महिला मुखियाओं को 2 हजार रुपये प्रति परिवार सहायता राशि का भुगतान आनलाइन प्रक्रिया अपनाते हुए किया जा रहा है। दिसम्बर, 2015 तक 10 लाख 69 हजार परिवारों के खाते में 208 करोड़ 67 लाख रुपये की राशि हस्तान्तरित की जा चुकी है।

8. राज्य में पहली बार वर्ष 2015-16 में 1 हजार 559 किलोमीटर लम्बाई के 6 नवीन राष्ट्रीय राज मार्ग घोषित किये गये हैं। राज्य सरकार के नीतिगत संकल्प में मुख्य जिला सड़कों को राज्य राज मार्गों में क्रमोन्नत करने की घोषणा के क्रम में इस वर्ष 4 हजार 168 किलोमीटर लम्बाई में राज्य राज मार्गों को क्रमोन्नत किया गया है। नाबार्ड की आर.आई.डी.एफ. 21 योजना के तहत इसी वर्ष में 605 करोड़ रुपये की लागत से 694 कार्य स्वीकृत गये हैं।

9. केन्द्रीय सड़क निधि में चालू वर्ष में 1 हजार 762 करोड़ रुपये लागत के 56 कार्यों की स्वीकृति जारी की गई है। इन कार्यों में 952 किलोमीटर लम्बाई में सड़कों का सुदृढ़ीकरण, चौड़ाईकरण एवं नवीनीकरण तथा 1 आरओबी व 9 पुलों के निर्माण शामिल हैं।

10. प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत चालू वित्तीय वर्ष में 471 करोड़ की लागत से 2181 किलोमीटर लम्बाई की सड़क बनाकर 828 ढाणियों/मजरों को सड़कों से जोड़ा जा चुका है। चालू वर्ष में भारत सरकार द्वारा प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में 1481 ढाणियों/मजरों को जोड़ने की 1618 करोड़ की सैद्धान्तिक स्वीकृति दी जा चुकी है। इससे प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत पात्रता रखने वाली सभी ढाणियों/मजरों को डामर सड़क से जोड़ दिया जाएगा।

11. राज्य के सभी ग्राम पंचायत मुख्यालयों पर सीमेन्ट कंक्रीट की सड़क मय नालियों के निर्माण कर ग्रामीण गौरव पथ के रूप में विकसित किया जा रहा है। इसके प्रथम चरण में अब तक 1 हजार 782 ग्राम पंचायत मुख्यालयों पर 1 हजार 544 किलोमीटर लम्बाई में ग्रामीण गौरव पथ का निर्माण कार्य पूर्ण कर लिया गया है। इस वर्ष 2 हजार 182 किलोमीटर लम्बाई में 608 करोड़ 35 लाख रुपये लागत से 1 हजार 9 मिसिंग लिंक सड़कों के निर्माण कार्य भी प्रारम्भ कर दिये गये हैं।

12. सरकार द्वारा 2 हजार 958 गुणवत्ता प्रभावित हेबीटेशन तथा 7 हजार 668 अन्य हेबीटेशन पेयजल से लाभान्वित किये गये हैं। गुणवत्ता प्रभावित बस्तियों को लाभ पहुंचाने के लिए 818 आरओ प्लाण्ट लगाकर प्रारम्भ करने के साथ ही 4 हजार 717 नये नलकूप और 13 हजार 837 नये हैण्डपम्प लगाकर चालू किये गये हैं। साथ ही 4 लाख 74 हजार खराब पाए गये हैण्डपम्पों को सुधारा गया है।

13. नागौर जिले को फ्लोराइड से मुक्त करने हेतु 28 अक्टूबर, 2015 को जापान की सहायता से जाइका परियोजना के तहत ट्रांसमिशन मैन के 1 हजार 490 करोड़ रुपये लागत के कार्य का शुभारम्भ किया गया। वृहद् पेयजल परियोजनाओं से 697 गांव तथा 1 हजार 370 ढाणियां लाभान्वित की गई हैं। जयपुर शहर व जयपुर, नागौर के ग्रामीण इलाकों में पेयजल आपूर्ति सुदृढ़ करने हेतु बीसलपुर बांध स्थित फिल्टर प्लान्ट सूरजपुरा में 200 एमएलडी के नये प्लांट का निर्माण पूर्ण कर लिया गया। अजमेर-पुष्कर पेयजल योजना का मुख्य कार्य भी पूर्ण कर लिया गया।

14. राज्य में पहली बार सौर ऊर्जा आधारित नलकूपों की स्थापना करने की पहल की गयी है। इससे विद्युत की अनुपलब्धता या भूजल स्तर नीचे जाने के कारण हैण्डपम्प संचालन में कठिनाई वाले क्षेत्रों में भी जल उपलब्ध करवाना सम्भव हो पायेगा। इस वर्ष 1 हजार 390 नलकूपों पर सौर ऊर्जा पर आधारित पम्पसैट स्थापित करने हेतु 132 करोड़ रुपये की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति जारी की गई।

माननीय सदस्यगण,

15. बीकानेर, हनुमानगढ़ तथा गंगानगर जिले में विभाग द्वारा संधारित डिग्गी से संचालित पेयजल परियोजनाओं के दुरुस्तीकरण हेतु लगभग 158 करोड़ रुपये की 150 योजनाओं के लिए स्वीकृति जारी की गई। केयर्न इंडिया द्वारा एम.ओ.यू. के अनुसार आगामी 3 वर्षों में बाड़मेर जिले में 333 स्वच्छ पेयजल प्लांट स्थापित करने की योजना है। इस परियोजना से बाड़मेर जिले के 800 गांवों के लगभग 10 लाख 50 हजार लोगों को शुद्ध पेयजल से लाभान्वित किया जायेगा।

16. सत्र 2015-16 में प्रवेशोत्सव कार्यक्रम के प्रथम चरण में लगभग 2 लाख 9 हजार तथा द्वितीय चरण में लगभग 6 लाख 44 हजार छात्रों के नव प्रवेश करवाये गये। राज्य के अनुसूचित जाति/जनजाति, ओ.बी.सी., अल्पसंख्यक एवं बी.पी.एल. परिवारों की बालिकाओं को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से संचालित 200 कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालयों में 19 हजार 553 बालिकाओं को लाभान्वित किया जा रहा है। राज्य सरकार द्वारा रीट परीक्षा 2015 का आयोजन माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर के माध्यम से सफलतापूर्वक करवाया गया है। इस परीक्षा में 8 लाख 15 हजार परीक्षार्थी शामिल हुए।

17. सरकार की कक्षा प्रथम से संस्कृत अध्ययन-अध्यापन अनिवार्य किये जाने की घोषणा के अनुरूप प्रथम कक्षा की संस्कृत पुस्तक तैयार कर ली गई है।

18. वर्ष 2015-16 में 1 हजार 340 विद्यालयों को आदर्श विद्यालयों के रूप में विकसित किया जा रहा है। राज्य के 12 हजार 370 समन्वित राजकीय माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों में कक्षा 1 से 5 के विद्यार्थियों के शैक्षिक स्तर उन्नयन के उद्देश्य से स्टेट इनीशियेटिव फार क्वालिटी एजूकेशन परियोजना प्रारम्भ की गई है। इस परियोजना से लगभग 11 लाख 50 हजार विद्यार्थी लाभान्वित होंगे। राज्य के शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े 186 ब्लाक्स में से

71 ब्लाक्स में अंग्रेजी माध्यम के स्वामी विवेकानन्द राजकीय माडल स्कूलों का संचालन प्रारम्भ किया जा चुका है। वर्ष 2015-16 में 428 करोड़ 14 लाख रुपये की लागत से 63 नये स्वामी विवेकानन्द राजकीय माडल स्कूलों का निर्माण कार्य भी कराया जा रहा है।

19. वर्ष 2014-15 एवं 2015-16 में राजकीय विद्यालयों में कक्षा-9 में अध्ययन करने वाली 5 लाख 35 हजार बालिकाओं को निःशुल्क साइकिल वितरित की गई। स्वामी विवेकानन्द राजकीय विद्यालयों की कक्षा 6 से 9 की तथा ग्रामीण क्षेत्र के राजकीय माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों की कक्षा 9 से 12 की 20 हजार बालिकाओं को ट्रांसपोर्ट वाउचर की सुविधा उपलब्ध करायी गई है।

20. विद्यालयों के प्रबन्धन के सुदृढ़ीकरण हेतु "शालादर्पण आनलाइन पोर्टल" प्रारम्भ किया गया है। डिजिटल लिट्रेसी प्रदान करने हेतु 67 हजार 887 शिक्षकों को राजस्थान नालेज कारपोरेशन लिमिटेड द्वारा संचालित आर.एस.सी.आई.टी. कोर्स करवाया जा रहा है। विद्यार्थियों को डिजिटल सामग्री उपलब्ध कराने हेतु "ई-ज्ञान" पोर्टल प्रारम्भ किया गया है।

21. राजकीय महाविद्यालयों में युवाओं को रोजगार की जानकारी देने हेतु रोजगार प्रकोष्ठों की स्थापना की गई है। प्रदेश की जिन 138 तहसीलों में वर्तमान में शिक्षक-प्रशिक्षण महाविद्यालय संचालित नहीं हैं उनमें बी.एड. पाठ्यक्रमों हेतु अनापत्ति प्रमाण-पत्र दिये जाने का निर्णय लिया गया है। सभी विश्वविद्यालयों को दीक्षान्त समारोह आयोजित कर लम्बित डिग्रियों को वितरित करने के निर्देशों की अनुपालना में राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर द्वारा लम्बित लगभग 20 लाख डिग्रियों का वितरण किया गया।

22. वर्ष 2015-16 में महुआ, खण्डार, सुमेरपुर, मनोहरथाना, ओसियां, डेगाना, सिवाना एवं आहोर में राजकीय महाविद्यालय प्रारम्भ किये गये। प्रवेश प्रक्रिया 2015-16 में स्नातक प्रथम वर्ष में विधि, स्कूल आफ आर्ट एवं संगीत संस्थान को छोड़कर शेष सभी राजकीय महाविद्यालयों में आनलाइन एडमिशन प्रवेश प्रक्रिया प्रारम्भ की गयी। राजकीय महाविद्यालयों में विज्ञान, कला एवं वाणिज्य में स्नातक प्रथम वर्ष में 25 प्रतिशत सीटें बढ़ाने से सम्पूर्ण राजस्थान में लगभग 26 हजार सीटें बढ़ी हैं। समस्त राजकीय महाविद्यालयों को यू.जी.सी. क़ी ई-लाईब्रेरी योजना से जोड़कर 97 हजार ई-बुक्स एवं 6 हजार जर्नल्स के अध्ययन की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। सत्र 2015-16 में समस्त राजकीय महाविद्यालयों में शिक्षकों व कार्मिकों की उपस्थिति बायोमेट्रिक मशीन से सुनिश्चित की गई।

23. राज्य में पहली बार 5 करोड़ रुपये की लागत से अति आधुनिक 3 डी प्रिंटिंग एवं रोबोटिक लैब की स्थापना राज्य के सेंटर फार इलेक्ट्रोनिक गवर्नेन्स संस्था जयपुर में की जा रही है। धौलपुर, बारां एवं करौली जिलों में 3 नये राजकीय अभियांत्रिकी महाविद्यालय तथा बाड़मेर में पेट्रोलियम इंजीनियरिंग शाखा सहित राजकीय अभियांत्रिकी महाविद्यालय स्थापित करने की स्वीकृति प्रदान की गयी है।

24. राज्य सरकार प्रदेश में चिकित्सा सेवाओं के आधारभूत ढांचे को सुदृढ़ करने एवं जन-जन तक गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं सुलभ कराने के लिए संकल्पबद्ध होकर कार्य कर रही है। प्रदेश में 13 दिसम्बर, 2015 से प्रारम्भ की गयी भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत भामाशाह कार्ड धारक प्रदेश की 67 प्रतिशत से अधिक आबादी को स्वास्थ्य बीमा योजना से जोड़कर 30 हजार से 3 लाख रुपए तक का नि:शुल्क स्वास्थ्य बीमा कवर उपलब्ध करवाकर इंडोर मरीजों को कैशलेस उपचार की सुविधा सुलभ करवायी जा रही है। न्यू इंडिया एश्योरेन्स कम्पनी के साथ अनुबंध के बाद प्रारम्भ हुई इस योजना से 15 फरवरी, 2016 तक 367 राजकीय एवं 320 निजी चिकित्सालय जोड़े जा चुके हैं। इस योजना में देश में सर्वाधिक कुल 1 हजार 715 बीमारियों को कवर किया गया है। योजना से 16 फरवरी, 2016 तक लगभग 40 हजार इंडोर मरीजों को कैशलेस चिकित्सा सुविधाएं सुलभ करवाई जा चुकी हैं।

25. दूरस्थ क्षेत्रों में गुणवत्तायुक्त चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने हेतु पायलट प्रोजेक्ट के रूप में प्रारम्भ की गई "हैल्थ रूट स्कीम" के सार्थक परिणाम दृष्टिगोचर हो रहे हैं। इसके साथ ही आरोग्य राजस्थान अभियान 1 अक्टूबर, 2015 को प्रारम्भ कर 1 करोड़ 5 लाख ग्रामीण परिवारों का घर-घर जाकर सर्वेक्षण किया गया। सर्वेक्षण के बाद 16 फरवरी, 2016 तक 31 लाख 70 हजार परिवारों के 1 करोड़ 32 लाख व्यक्तियों की आनलाइन एंट्री की जा चुकी है। स्वास्थ्य सर्वेक्षण फार्म से प्रत्येक व्यक्ति का ई-हैल्थ कार्ड बनाया जायेगा एवं हैल्थ इन्फोर्मेशन नेटवर्क तैयार किया जायेगा। प्रदेश की समस्त 9 हजार 894 ग्राम पंचायतों में 15 दिसम्बर, 2015 से 31 मार्च, 2016 तक स्वास्थ्य शिविर लगवाये जा रहे हैं। इसके तहत 16 फरवरी तक 6 हजार 140 स्वास्थ्य शिविरों में 12 लाख 30 हजार व्यक्तियों को सामान्य उपचार कर लाभान्वित किया जा चुका है तथा इनमें से गम्भीर बीमारियों से ग्रस्त पाये गये 89 हजार मरीजों को उच्च चिकित्सा संस्थान में रैफर कर उनके उपचार की व्यवस्था की गई है।

26. कुपोषण की समस्या के व्यापक समाधान के लिए पोषण कार्यक्रम प्रारम्भ किया गया है। इसके तहत राजस्थान के उच्च प्राथमिकता

वाले 10 जिलों तथा 3 जनजातीय जिले प्रतापगढ़, सिरोही तथा बारां कुल 13 जिलों के 41 खण्डों में 555 उप स्वास्थ्य केन्द्रों के अन्तर्गत आने वाले लगभग 1700 गांवों के 10 हजार कुपोषित बच्चों के साथ कुपोषण प्रबंधन का समुदाय आधारित कार्यक्रम प्रारम्भ किया गया है जिसके सार्थक परिणाम आने लगे हैं।

27. आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, आशा एवं ए.एन.एम. के कार्यक्रमों को समग्र रूप से संचालित करने हेतु प्रायोगिक तौर पर अक्षदा कार्यक्रम के अन्तर्गत झालावाड़ जिले के झालरापाटन ब्लाक में तीतरवासा एवं श्यामपुरा, खानपुर ब्लाक में सोजपुर एवं सूमर तथा मनोहरथाना ब्लॉक में मनपसर एवं कामखेड़ा में स्वास्थ्य सेवाएं सुगमता से उपलब्ध करवाई जा रही हैं। इस कार्यक्रम के उत्साहवर्द्धक परिणाम रहने के कारण आगे विस्तार किया जाएगा।

28. प्रदेश में शिशु मृत्यु दर एवं मातृ मृत्यु दर में कमी लाने व संस्थागत प्रसव बढ़ाने पर विशेष ध्यान देने के परिणामस्वरूप स्वास्थ्य मापदण्डों में निरन्तर सुधार हो रहा है। जनवरी 2016 तक 48 लाख से अधिक बच्चों को नि:शुल्क पेन्टावेलेन्ट टीका लगवाया जा चुका है। राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के तहत वर्ष 2015 में 20 जिलों में 22 लाख बच्चों का एवं वर्ष 2016 में 16 फरवरी तक 21 लाख बच्चों का स्वास्थ्य परीक्षण कर उनके उपचार की व्यवस्था की गयी।

29. हाईरिस्क प्रेगनेन्सी के प्रबन्धन एवं देखभाल हेतु 11 जुलाई, 2015 से कुशल मंगल कार्यक्रम का शुभारम्भ किया गया है। पीसीपीएनडीटी एक्ट की पालना में राजस्थान देश का पहला ऐसा राज्य है जहां प्रत्येक सोनोग्राफी मशीन के साथ एक्टिव ट्रेकर लगाने के बाद अब नई मशीनों के साथ जीपीएस भी लगवाया जा रहा है। भारत सरकार द्वारा हाल ही जारी रिपोर्ट में राज्य सरकार के इस कार्य को सराहा गया है। बेटी बचाओ अभियान के तहत की गयी कार्रवाई के सार्थक परिणाम दृष्टिगोचर हो रहे हैं। ओजस साफ्टवेयर के तहत दर्ज सूचनाओं के अनुसार गत् कुछ माह से कन्या जन्म का औसत अब निरन्तर सुधरकर लगभग बराबरी पर आ गया है।

30. नि:शुल्क सेनेटरी नेपकिन वितरण कार्यक्रम के तहत 2 अक्टूबर, 2015 से 7 जिलों की 3 लाख 50 हजार किशोरियों को नि:शुल्क सेटेटरी नेपकिन वितरित की जा रही है। इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए प्रदेशभर के ग्रामीण स्कूलों में लगभग 15 लाख 50 हजार किशोरियों व लगभग 4 लाख 50 हजार ग्रामीण क्षेत्र की स्कूल नहीं जाने वाली बीपीएल किशोरियों को 8 मार्च, 2016 से लागू कर वितरित किया जायेगा।

31. चिकित्सकों एवं चिकित्साकर्मियों को दुर्गम क्षेत्रों में कार्य करने के

लिये प्रोत्साहन स्वरूप 10 हजार रुपये से लेकर 30 हजार रुपये तक का विशेष भत्ता दिये जाने का अभिनव कार्य प्रारम्भ किया गया है।

32. प्रदेश की आशा सहयोगिनियों को उनके कार्य के आधार पर प्रोत्साहन राशि का आनलाइन भुगतान उनके खाते में "आशा साफ्ट" के माध्यम से किया जा रहा है। आशा साफ्ट को केन्द्र सरकार द्वारा जनवरी, 2016 में राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस-रजत पुरस्कार सहित अनेक पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है। स्वास्थ्य विभाग द्वारा प्रारम्भ किये गये ई-उपकरण, ओजस सॉफ्टवेयर, ई-शुभलक्ष्मी सहित अन्य ई-इनिशिएटिव को राष्ट्रीय स्तर पर सराहना प्राप्त हुई है।

33. निःशुल्क दवा योजना से वितीय वर्ष 2015-16 में दिसम्बर, 2015 तक 6 करोड़ 85 लाख रोगियों को लाभान्वित किया गया है तथा निःशुल्क जांच योजना के तहत 2 करोड़ 10 लाख से अधिक निःशुल्क जांचें की जा चुकी हैं।

34. आजादी के बाद से लेकर अब तक राजस्थान में राजकीय क्षेत्र में 7 मेडिकल कालेज स्थापित किये गये थे। सरकार ने ऐतिहासिक निर्णय लेते हुए 7 नये मेडिकल कालेज स्वीकृत किये। इनमें 6 नये मेडिकल कालेजों यथा चूरू, डूंगरपुर, भीलवाड़ा, बाड़मेर, भरतपुर तथा पाली की स्थापना का कार्य प्रगति पर है एवं 30 सितम्बर, 2017 तक शैक्षणिक सत्र प्रारम्भ किये जाने हेतु आवश्यक तैयारियां की जा रही हैं। राज्य के मेडिकल कालेजों में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में 118 सीटों की वृद्धि की गई है। सवाई मानसिंह चिकित्सालय व कुछ अन्य निजी चिकित्सालयों को मानव अंग प्रत्यारोपण के लिए अधिकृत कर प्रदेश में कैडेवर आर्गन ट्रांसप्लांट का कार्य प्रारम्भ कर दिया गया है।

35. राज्य में विशेषज्ञ चिकित्सकों की कमी की पूर्ति हेतु राज्य सरकार ने कालेज आफ फिजिशियन एण्ड सर्जन, मुम्बई, महाराष्ट्र से जिला चिकित्सालयों/सब डिविजनल अस्पताल व सेटेलाइट अस्पतालों में 2 वर्षीय डिप्लोमा कोर्स शुरू करवाने हेतु अनुबंध किया है। इससे विशेषज्ञ चिकित्सकों की कमी पूरी की जा सकेगी।

36. आयुष का देश का सबसे बड़ा आधारभूत ढांचा राजस्थान में है। यहां 5 हजार 124 आयुर्वेद, होम्योपैथिक, यूनानी तथा योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा केन्द्र हैं। राज्य सरकार आयुष पद्धतियों, आयुर्वेद, यूनानी, होम्योपैथी, योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा तथा सिद्धा के विकास तथा प्रसार को विशेष महत्व दे रही है।

37. राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय, जोधपुर द्वारा एक वर्षीय पंचकर्म तकनीकी सहायक पाठ्यक्रम, चार वर्षीय बीएससी नर्सिंग आयुर्वेद पाठ्यक्रम एवं प्राकृतिक चिकित्सा का एक वर्षीय प्रमाण पत्र पाठ्यक्रम प्रारम्भ किया गया है।

38. वर्ष 2015-16 में दस जिलों में नवीन पंचकर्म केन्द्र खोले गये एवं दस जिलों में जिला मुख्यालयों पर योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा भवनों का निर्माण किया गया है। रिसर्जेण्ट राजस्थान पार्टनरशिप समिट के अन्तर्गत हर्बल गार्डन, फार्मेसी, वेलनेस सेन्टर क्षेत्र में 51 संस्थाओं से 3 हजार 976 करोड़ 50 लाख रुपये के एम.ओ.यू. किये गये। राज्य में आयुर्वेद पर्यटन को बढ़ाने के उद्देश्य से राज्य के 8 जिलों में वेलनेस सेन्टर स्थापित किये जाने प्रस्तावित हैं।

39. माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के विशेष आग्रह एवं 177 राष्ट्रों के सह-प्रस्ताव से संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा 21 जून को घोषित अन्तर्राष्ट्रीय योग दिवस को 192 राष्ट्रों ने हर्ष और उल्लास के साथ मनाया। प्रदेशभर में लगभग 35 लाख व्यक्तियों ने भारी उत्साह के साथ योगाभ्यास में हिस्सा लिया। केन्द्र सरकार द्वारा गठित राष्ट्रीय आयुष मिशन की तर्ज पर राजस्थान स्टेट आयुष सोसायटी का गठन किया गया है। प्रदेश के जीर्णशीर्ण हालात के 74 औषधालयों के लिए नये भवन निर्माण हेतु 15-15 लाख रुपये की राशि स्वीकृत की गयी है।

माननीय सदस्यगण,

40. राज्य सरकार प्रदेश को विद्युत उत्पादन की दृष्टि से आत्मनिर्भर बनाने की ओर अग्रसर है। गत दो वर्षों में राज्य क्षेत्र में 1 हजार 750 मेगावाट, निजी क्षेत्र में 1 हजार 14 मेगावाट तथा गैर परम्परागत स्रोतों से 1 हजार 403 मेगावाट सहित 4 हजार 167 मेगावाट उत्पादन क्षमता में वृद्धि की गई है। राजस्थान 1 हजार 264 मेगावाट की सौर परियोजनाएं स्थापित कर राष्ट्रीय स्तर पर सर्वाधिक सौर ऊर्जा स्थापित करने वाला राज्य हो गया है। हमने सौर ऊर्जा नीति 2014 के तहत 26 हजार मेगावाट के 4 सोलर पार्क्स और 24 हजार मेगावाट के 5 सोलर पावर प्लांट स्थापित करने के एमओयू किए हैं।

41. अक्षय ऊर्जा के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य हेतु नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय भारत सरकार द्वारा राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम को विभिन्न श्रेणियों में 11 पुरस्कार प्रदान किये गये। विद्युत की मांग व उपलब्धता अनुरूप विद्युत आपूर्ति के लिए प्रतिस्पर्धात्मक विद्युत दरों पर आवश्यकता अनुरूप विद्युत की खरीद व बेहतर प्रबन्धन हेतु विद्युत ऊर्जा विकास निगम का गठन किया गया है।

42. प्रसारण व वितरण तन्त्र को सुदृढ़ करते हुये चालू वित्तीय वर्ष में दिसम्बर, 2015 तक 220 केवी के 5, 132 केवी के 14 ग्रिड सब-स्टेशन व 33 केवी के 200 सब-स्टेशन स्थापित कर दिये गये हैं। इस वित्तीय वर्ष में दिसम्बर तक लक्ष्य अनुरूप 40 हजार से अधिक कृषि कनेक्शन एवं 5 लाख 50 हजार से अधिक घरेलू कनेक्शन जारी किये गये हैं। घरेलू कनेक्शन जारी करने के लिए प्रत्येक उपखण्ड में शिविर भी आयोजित किये गये। घरेलू लाइटिंग में बिजली बचत हेतु घरेलू उपभोक्ताओं को एल.ई.ड़ी. बल्ब वितरण करने की योजना के तहत दिसम्बर, 2015 तक 74 लाख एल.ई.ड़ी. बल्ब वितरित किए जा चुके हैं।

43. रोजगार सृजित करने, सामाजिक एवं आर्थिक विकास को गति देने एवं लोगों के जीवन स्तर को ऊपर उठाने के उद्देश्य से 19-20 नवम्बर, 2015 को रिसर्जेन्ट राजस्थान पार्टनशिप सम्मिट-2015' सफलतापूर्वक आयोजित किया गया। इस सम्मेलन के अन्तर्गत 295 एमओयू किए गये हैं जिनमें लगभग 3 लाख 21 हजार करोड़ रुपये का निवेश प्रस्तावित है। इन एमओयू की क्रियान्विति के लिए पुख्ता मानिटरिंग की व्यवस्था की गई है।

44. ऐसे युवा उद्यमी जिनके पास कोई अभिनव विचार है, उनको प्रोत्साहित करने की दृष्टि से राजस्थान स्टार्टअप पालिसी 2015 जारी की गई। इस नीति के तहत राजस्थान में अगले पांच वर्षों में लगभग 500 स्टार्टअप्स को प्रोत्साहित किया जायेगा तथा 50 इंक्यूबेटर्स स्थापित किए जायेंगे। विभिन्न विभागों द्वारा प्रक्रियाओं का सरलीकरण तथा कम्प्यूटरीकरण का कार्य हाथ में लिया गया है। इसी के परिणामस्वरूप ईज आफ डूइंग बिजनेस की रैंकिंग में राजस्थान देशभर में छठे स्थान पर रहा।

45. सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम क्षेत्र के विकास हेतु राज्य सरकार ने उद्यमिता ज्ञापन जारी करने हेतु आनलाइन पंजीकरण सुविधा समस्त जिला उद्योग केन्द्रों में अप्रैल, 2015 से लागू की है। एम.एस.एस.ई. पालिसी 2015 जारी कर इसके क्रियान्यवन हेतु राजस्थान एम.एस.एम.ई. असिस्टेंस स्कीम 2015, राजस्थान सिक, माइक्रो एंड स्माल एंटरप्राइज (रिवाइवल एंड रिहैबिलिटेशन) स्कीम 2015 एवं शिक्षित बेरोजगार युवाओं, महिलाओं, अनुसुचित जाति एवं जनजाति एवं विशेष योग्यजनों का स्वयं का उद्यम प्रारम्भ करने हेतु 6 से 7 प्रतिशत की दर पर बैंकों से ऋण उपलब्ध कराने हेतु भामाशाह रोजगार सृजन योजना दिसम्बर, 2015 से लागू कर दी गई है। राज्य के उत्पादों को अन्य राज्यों के उत्पादों की तुलना में क्रम में प्राथमिकता देने हेतु नये नियम अधिसूचित किए गए हैं।

46. भवन एवं अन्य संनिर्माण कामगार अधिनियम, 1996 के तहत गठित कल्याण मण्डल द्वारा 2015-16 में 1 लाख 76 हजार 577 नये निर्माण

श्रमिकों का हिताधिकारी के रूप में पंजीकरण किया गया तथा अब तक के रिकार्ड 31 हजार 182 हिताधिकारियों को मण्डल द्वारा संचालित विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं का लाभ प्रदान किया गया। हिताधिकारियों की अधिकतम दो अविवाहित बेटियों को विवाह सहायता के साथ उद्यमिता हेतु प्रोत्साहित करने के लिए 55 हजार रुपये की राशि देने का प्रावधान किया गया है।

47. राज्य सरकार द्वारा कुल 58 लाख से अधिक व्यक्तियों को पेंशन का भुगतान किया जा रहा है। इनमें से 42 लाख से अधिक सामाजिक पेंशनरों को भामाशाह योजना के माध्यम से सीधे बैंक खातों में भुगतान किया जा रहा है। विभाग द्वारा पालनहार योजना के तहत 1 लाख 50 हजार से अधिक बच्चों को पहली बार नवीन वेब पोर्टल के माध्यम से लाभान्वित किया जा रहा है।

48. सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के 703 छात्रावासों व 19 आवासीय विद्यालयों में कानफेड के माध्यम से गुणवत्तापूर्ण खाद्य सामग्री की सप्लाई शुरू की गयी। आनलाइन पोर्टल के माध्यम से पेपर लैस प्रवेश प्रक्रिया शुरू की गई व अभियान चलाकर सभी भवनों की दशा सुधारी गयी। विभाग की व्यक्तिगत लाभ योजनाओं यथा छात्रवृत्ति, अनुप्रति इत्यादि को आनलाइन पोर्टल के माध्यम से पेपरलैस आवेदन व स्वीकृति प्रक्रिया शुरू की गयी है। राज्य सरकार द्वारा अनुसूचित जाति आयोग, पिछड़ा वर्ग आयोग व आर्थिक पिछड़ा आयोगों में अध्यक्ष व सदस्यों का मनोनयन कर कार्य प्रारम्भ किया गया। विशेष योग्यजनों हेतु रोजगार मेले आयोजित किये गये व झालाना, जयपुर में व्यावसायिक प्रशिक्षण केन्द्र शुरू किया गया व आयुक्त विशेष योग्यजन की नियुक्ति भी की गयी।

49. जनजाति छात्रों हेतु इस वर्ष बहुउद्देशीय छात्रावास, उदयपुर एवं कोटा का संचालन प्रारम्भ किया गया। वनबन्धु योजना के तहत समस्त आश्रम छात्रावासों एवं खेल छात्रावासों में कक्षा 6 से 9 व 11वीं के छात्र-छात्राओं को कठिन विषयों की विशेष कोचिंग दी जा रही है। अनुसूचित क्षेत्र, माडा क्षेत्र व सहरिया क्षेत्र में संचालित 1339 मां-बाड़ी डे केयर सेन्टरों पर पोषाहार प्रबन्ध हेतु गैस कनेक्शन उपलब्ध कराये गये। कुल 43 हजार 770 बालक-बालिकाओं को 1 हजार 459 मां-बाड़ी केन्द्रों में अनौपचारिक शिक्षा प्रदान की जा रही है। जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग द्वारा निर्मित एवं पूर्व में बंद 30 सामुदायिक जलोत्थान सिंचाई परियोजनाएं पुन: प्रारम्भ की गई।

50. भुगतान की आनलाइन प्रक्रिया के तहत जनजाति छात्र-छात्राओं को विभिन्न प्रकार की आर्थिक सहायता एवं छात्रवृत्ति का आनलाइन भुगतान किया गया। उदयपुर शहर के खेलगांव में जनजाति बालकों हेतु तीरंदाजी

अकादमी प्रारम्भ की गई। लगभग 1 लाख बीपीएल जनजाति परिवारों को खरीफ में कृषि विकास कार्यक्रम से लाभान्वित किया गया। प्रदेश के 22 हजार 500 सहरिया परिवारों एवं 1 हजार 150 कथोड़ी परिवारों को प्रतिमाह 2 किलो दाल, 2 लीटर तेल व 1 लीटर देशी घी नि:शुल्क उपलब्ध कराया जा रहा है।

माननीय सदस्यगण,

51. राज्य के 40 पुलिस जिलों में महिला थाना अथवा चयनित थाना के साथ सुरक्षा एवं सलाह केन्द्र संचालन हेतु चयनित गैर-शासकीय संस्थाओं को अधिकृत किया गया है। इन केन्द्रों में जनवरी, 2015 से जनवरी, 2016 तक कुल प्राप्त 6 हजार 282 शिकायतों में से 5 हजार 434 का निस्तारण किया जा चुका है।

52. कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न अधिनियम, 2013 की पालना में जिला कलेक्टरों को जिला अधिकारी के रूप में अधिसूचित किया है। हिंसा अथवा उत्पीड़न की शिकार महिलाओं को एक स्थान पर नि:शुल्क चिकित्सा, पुलिस, विधिक, परामर्श एवं आश्रय आदि सुविधाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से 'अपराजिता' केन्द्र की स्थापना की गई। महिलाओं को राहत व न्याय सुलभ करवाने के लिए 24 घण्टे संचालित इसी माडल पर केन्द्र द्वारा सभी राज्यों में "वन स्टाप सेंटर" (सखी) शुरू करने की कार्यवाही की जा रही है।

53. शिशु लिंगानुपात को संतुलित करने, बालिका शिक्षा को बढ़ाने तथा बालिकाओं के सम्पूर्ण विकास हेतु जनवरी, 2015 से राजस्थान के 10 जिलों में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना का क्रियान्वयन किया जा रहा है। महिलाओं के आर्थिक सशक्तीकरण की दृष्टि से राज्य में वर्ष 2015 के दौरान 6 हजार 575 स्वयं सहायता समूहों का गठन कर 4 हजार 779 स्वयं सहायता समूहों को क्रेडिट लिंकेज कर 33 करोड़ 75 लाख रुपये के ऋण स्वीकृत किये गये हैं। इन स्वयं सहायता समूहों को स्थानीय बाजार से जोड़ने के उद्देश्य से सभी सम्भागीय जिलों में सम्भागीय अमृता हाट मेले का आयोजन किया जा रहा है।

54. वर्तमान में राज्य में 304 बाल विकास परियोजनाएं तथा 61 हजार 119 आंगनबाड़ी केन्द्र स्वीकृत हैं। आंगनबाडी भवनों के निर्माण हेतु महात्मा गांधी नरेगा से कनवर्जेन्स के तहत 1 हजार 385 आंगनबाड़ी भवनों के निर्माण की स्वीकृति जारी की गई। जन सहभागिता बढ़ाने के लिए "नन्द घर योजना" प्रारम्भ की गई है।

55. प्रदेश के 47 हजार 383 अल्पसंख्यक विद्यार्थियों को उत्तर मैट्रिक एवं मैरिट कम मीन्स छात्रवृत्ति योजना अन्तर्गत वर्ष 2014-15 में छात्रवृत्ति

राशि 41 करोड़ रुपये स्वीकृत की गई। वर्ष 2015-16 में योजनान्तर्गत 69 हजार आवेदन स्वीकृति हेतु अल्पसंख्यक मंत्रालय, भारत सरकार को अग्रेषित किये गये हैं।

56. अल्पसंख्यक बालिकाओं के लिये जयपुर में 100 बैड एवं बीकानेर में 50 बैड की क्षमता के छात्रावास निर्मित किए गए हैं। बहु क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम अन्तर्गत आवंटित लक्ष्य 98 करोड़ 13 लाख रुपये के विरुद्ध दिसम्बर, 2015 तक 133 करोड़ 27 लाख रुपये के 428 निर्माण कार्य अल्पसंख्यक बाहुल्य क्षेत्रों के लिए स्वीकृत किये गये हैं।

57. साइबर ग्राम योजना अन्तर्गत प्रथम बार अल्पसंख्यक बाहुल्य क्षेत्रों में कक्षा 6 से 10 तक के 10 हजार 400 अल्पसंख्यक विद्यार्थियों को डिजिटल साक्षर किया जा रहा है। राज्य के मदरसों में कार्यरत 6 हजार 620 पैराटीचर्स को मानदेय भुगतान व मदरसों में प्रथम बार कम्प्यूटर सेट मय प्रिंटर व यू.पी.एस., ड्यूअल डेस्क बेंच, ग्रीन राइटिंग बोर्ड व दरी पट्टियों के वितरण हेतु वित्त वर्ष 2015-16 में 48 करोड़ 28 लाख रुपये व्यय किये जा रहे हैं।

58. रबी 2014-15 में राज्य के 21 जिलों में मौसम आधारित फसल बीमा योजना का क्रियान्वयन कर 24 लाख कृषकों को 564 करोड़ रुपये के बीमा क्लेम्स का भुगतान कर लाभान्वित किया गया। रबी 2014-15 में राज्य के 12 जिलों में संशोधित राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना का क्रियान्वयन कर 5 लाख 46 हजार कृषकों को 190 करोड़ रुपये बीमा क्लेम्स का भुगतान कर लाभान्वित किया गया।

59. खरीफ 2015 में राज्य के 20 जिलों में मौसम आधारित फसल बीमा योजना का क्रियान्वयन कर 33 लाख कृषकों को 569 करोड रुपये बीमा क्लेम्स का भुगतान कर लाभान्वित किया गया। खरीफ 2015 में राज्य के 13 जिलों में संशोधित राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना का क्रियान्वयन कर 11 लाख से अधिक कृषकों को 297 करोड़ रुपये का बीमा कलेम्स दिए जाने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

60. राज्य सरकार के प्रयासों से खरीफ 2015 में राज्य को मांग से अधिक उर्वरकों की आपूर्ति हुई एवं आवश्यकतानुसार बीज की आपूर्ति की गयी।

61. वर्ष 2015-16 में माह दिसम्बर, 2015 तक 2 लाख 78 हजार सायल हैल्थ कार्ड किसानों को दिये जा चुके हैं। राज्य में जैतून के बगीचों की स्थापना एक नवाचार के रूप में करवाई जा रही है। वर्ष 2015-16 में 200

हैक्टेयर लक्ष्य के विरुद्ध 258 हैक्टेयर में जैतून के बगीचों की स्थापना की गई। आमजन की सुविधा हेतु 241 पंचायत समिति एवं 2 हजार 414 ग्राम पंचायत मुख्यालयों पर किसान सेवा केन्द्रों का निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है।

62. भारत सरकार द्वारा राज्य को गेहूं उत्पादन में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिये कृषि कर्मण अवार्ड, 2015 हेतु चयनित किया गया है। कृषि विषय लेकर सीनियर सैकण्डरी कृषि, स्नातक एवं स्नातकोत्तर कृषि तथा पी.एच.डी. कृषि में अध्ययन करने वाली राजस्थान मूल की छात्राओं को वर्ष 2014-15 से क्रमश: 5 हजार, 12 हजार तथा 15 हजार रुपये प्रति छात्रा प्रतिवर्ष प्रोत्साहन राशि दी जा रही है।

63. "किसान कलेवा योजना 2014" के अन्तर्गत चालू वित्तीय वर्ष में माह दिसम्बर तक 15 लाख 57 हजार कृषकों एवं मंडी में कार्यरत मजदूरों को 5 रुपये में कलेवा उपलब्ध करवाकर लाभान्वित किया गया है। वर्तमान सरकार के कार्यकाल में 11 स्वतंत्र मण्डियों की स्थापना की घोषणा कर शाहपुरा (भीलवाड़ा) तथा महवा (दौसा) स्वतंत्र मण्डी स्थापित की जा चुकी है।

64. कृषि उपज मंडी समितियों में कार्यरत अनुज्ञप्तिधारी हम्मालों एवं पल्लेदारों को सहायता उपलब्ध कराने हेतु महात्मा ज्योतिबा फूले मंडी श्रमिक कल्याण योजना-2015 लागू की गई है। इस योजना के तहत अनुज्ञप्तिधारी हम्मालों एवं पल्लेदारों को गम्भीर बीमारी की दशा में सरकारी अस्पताल/स्वास्थ्य केन्द्रों में भर्ती रहने पर चिकित्सा व्यय की प्रतिपूर्ति अधिकतम 20 हजार रुपये तक स्वीकृत की जाएगी। महिला अनुज्ञप्तिधारी हम्माल एवं पल्लेदार को अधिकतम दो प्रसूतियों के लिए सहायता राशि एवं विवाह के लिए भी सहायता देय होगी। इनके मेधावी छात्र-छात्रा को भी छात्रवृत्ति दी जाएगी।

65. माह फरवरी से अप्रैल, 2015 के बीच राज्य में हुई भीषण ओलावृष्टि से 50 प्रतिशत या इससे अधिक का नुकसान होने पर राज्य सरकार ने प्रभावितों को राहत प्रदान करने हेतु 8 हजार 322 गांवों को अभावग्रस्त घोषित कर पैकेज जारी किया। एसडीआरएफ मानदण्डों के अनुसार फसलों में 33 प्रतिशत का नुकसान होने पर काश्तकारों को मुआवजा देने के निर्णय के तहत फरवरी से अप्रैल 2015 में हुई ओलावृष्टि से प्रभावित राज्य के 29 लाख 24 हजार काश्तकारों के खातों में अब तक कृषि आदान अनुदान सहायता की राशि 2 हजार 471 करोड़ रुपये हस्तान्तरित की जा चुकी है। संवत् 2071 में अभावग्रस्त जिलों में राहत गतिविधियों के तहत 1091 पंजीकृत गौशालाओं को अनुदान प्रदान करने से 4 लाख 54 हजार पशु लाभान्वित हुए।

प्रदेश में 180 चारा डिपो स्वीकृत किये गये एवं 3 हजार 336 पशु शिविरों में 5 लाख 67 हजार पशु लाभान्वित हुए।

66. वर्ष 2015 में राज्य के 12 जिलों में बाढ़ या बाढ़ जैसी परिस्थितियों के कारण क्षतिग्रस्त हुई सड़कों की तात्कालिक मरम्मत हेतु 31 जनवरी, 2016 तक 2 हजार 58 कार्यों के लिये 76 करोड़ रुपये की स्वीकृतियां जारी की गईं। राज्य के 9 जिलों में बाढ़ या बाढ़ जैसी परिस्थितियों के कारण क्षतिग्रस्त हुए बांधों, नहरों व विद्यालयों की तात्कालिक मरम्मत हेतु 31 जनवरी, 2016 तक 631 कार्यों के लिये लगभग 37 करोड़ रुपये की स्वीकृतियां जारी की गईं। खरीफ संवत् 2072 की गिरदावरी रिपोर्ट के आधार पर राज्य के 19 जिलों के 14 हजार 487 गांवों को अभावग्रस्त घोषित किया गया है।

67. राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अन्तर्गत मत्स्य बीज पालन क्षेत्र के विकास हेतु भुगतान की आनलाइन प्रक्रिया अपनाई गई। इस वर्ष 27 हजार 156 मैट्रिक टन मत्स्य उत्पादन किया गया तथा 11 हजार मत्स्य कृषकों का सामूहिक दुर्घटना बीमा किया।

68. वर्ष 2015-16 में केन्द्रीय सहकारी बैंकों द्वारा दिसम्बर, 2015 तक लगभग 13 हजार 169 करोड़ रुपये के अल्पकालीन तथा लगभग 350 करोड़ रुपये के मध्यकालीन ऋण वितरण किए गए हैं। माह दिसम्बर, 2015 तक लगभग 206 करोड़ रुपये के दीर्घकालीन ऋण वितरण किए गए हैं।

69. वर्ष 2015-16 में 1 हजार 559 महिला स्वयं सहायता समूहों का गठन किया गया एवं 1 हजार 820 स्वयं सहायता समूहों का साख कड़ीबन्धन कर 18 करोड़ 63 लाख रुपये का ऋण वितरण किया गया। वर्ष 2015-16 में 100 ग्राम सेवा सहकारी समितियों को गोदाम निर्माण हेतु 10-10 लाख रुपये की घोषणा की गई थी। राष्ट्रीय कृषि विकास योजनान्तर्गत वर्ष 2015-16 में 50 ग्राम सेवा सहकारी समितियों को गोदाम निर्माण हेतु 5 करोड़ रुपये की स्वीकृति जारी की जा चुकी है।

70. अपैक्स बैंक में केन्द्रीय डाटा सेन्टर स्थापित कर सभी शाखाओं का कम्प्यूटीकरण कर कोर बैंकिंग सेवाओं का संचालन आरम्भ कर दिया गया है। सहकारी बैंकों के ऋणी सदस्यों व खाताधारकों को भामाशाह को-ब्राण्डेड रूपे कार्ड जारी किया जा रहा है।

71. जल संसाधनों का सुव्यवस्थित प्रबन्धन, सुनियोजित विकासात्मक गतिविधियों के लिए मूलभूत आवश्यकता है। प्रदेश में उपलब्ध जल, देश के

कुल सतही जल स्रोतों का मात्र 1.16 प्रतिशत ही है। वर्तमान सरकार ने गठन के पश्चात् अपनी प्राथमिकताओं में जल संसाधन क्षेत्र को महत्वपूर्ण स्थान दिया है।

72. राज्य में वर्ष 2015-16 में विभिन्न सिंचाई परियोजनाओं पर माह दिसम्बर, 2015 तक 610 करोड़ रुपये व्यय किये गये एवं अतिरिक्त सिंचाई क्षमता सृजित की गई है। वर्षा जल, सतही जल, मृदा जल एवं भू-जल के समुचित उपयोग हेतु फोर वाटर कन्सेप्ट को सम्पूर्ण राज्य में लागू किया जाकर वर्तमान में माही, चम्बल, साबरमती, लूनी, सूकली एवं पश्चिमी बनास बेसिन में 351 माइक्रो सिंचाई योजनाओं एवं 195 चैक डेम के 1 हजार 441 करोड़ रुपये के कुल 546 कार्य स्वीकृत किये गये हैं।

73. वर्ष 2015-16 में गंगनहर परियोजना के द्वितीय फेज में लगभग 146 करोड़ रुपये की लागत से 44 हजार 875 हैक्टेयर क्षेत्र में एवं भाखड़ा परियोजना की पक्की नहरों के 1 लाख 13 हजार हैक्टेयर क्षेत्र में पक्का खाला निर्माण हेतु 370 करोड़ रुपयों की स्वीकृति जारी की गई है। चम्बल (कोटा), बीसलपुर (टोंक), गंगनहर फेज प्रथम एवं द्वितीय (गंगानगर), सिद्धमुख तथा अमरसिंह जस्साना (हनुमानगढ़) तथा भाखड़ा नहर (हनुमानगढ़ एवं गंगानगर) परियोजनाओं पर वर्ष 2015-16 के अन्तर्गत 134 करोड़ रुपये का बजट आबंटन कर 53 हजार हैक्टेयर क्षेत्र में पक्के खालों का निर्माण कार्य प्रारम्भ किया गया है। इसमें से 41 हजार हैक्टेयर कमाण्ड क्षेत्र में निर्माण कार्य पूर्ण किये जा चुके हैं। चम्बल नहर प्रणाली के सुदृढ़ीकरण एवं अन्तिम छोर तक पानी पहुंचाने के लिए 53 किलोमीटर लाइनिंग का कार्य पूरा किया जा चुका है।

74. इंदिरा गांधी नहर से सिल्ट सफाई कार्य हेतु विशेष कार्य योजना बनाकर छोटी नहरों की सफाई संवेदकों व जल उपयोक्ता संगठनों के माध्यम से रबी की फसल से पहले कराकर, टेल तक पानी पहुंचाया गया। बड़ी नहरों की सफाई विभागीय मशीनों के द्वारा लगातार करवाई जा रही है।

75. चौधरी कुम्भाराम आर्य (साहवा) लिफ्ट व डा. करणी सिंह (कोलायत) लिफ्ट नहरों के पम्पिंग स्टेशनों पर नये मोटर पम्प लगाने के कार्य करवाये जा रहे हैं। इसके अतिरिक्त नहरों की लाइनिंग व स्ट्रक्चर्स की मरम्मत के कार्य भी किये गये हैं।

माननीय सदस्यगण,

76. राजस्व विभाग द्वारा 18 मई, 2015 से 31 जुलाई, 2015 तक

आयोजित 'राजस्व लोक अदालत अभियान : न्याय आपके द्वार, 2015' के दौरान विभिन्न प्रकार के कुल 21 लाख 43 हजार 54 प्रकरणों का रिकार्ड निस्तारण किया गया। इसी प्रकार 12 दिसम्बर, 2015 को आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत में कुल 85 हजार 115 प्रकरणों का भी निस्तारण किया गया है।

77. ई-धरती के अन्तर्गत राज्य की समस्त तहसीलों में आधुनिक उपकरणों से लैस माडर्न रिकार्ड रूम की स्थापना किए जाने की योजना के प्रथम चरण में 43 तहसीलों में कार्य शुरू कर दिया गया है। तहसीलों में उपलब्ध ग्रामों के केडस्ट्रल नक्शों को डिजिटलाइज्ड किया जाकर उन्हें जमाबन्दी के साथ जोड़ा जा रहा है। टोंक, झालावाड़ व भीलवाड़ा जिलों के अब तक कुल 750 से अधिक गांवों का नक्शा डिजिटलाइज्ड कर दिया गया है। शेष जिलों में भी कार्य प्रारम्भ कर दिया गया है।

78. द्वितीय विश्वयुद्ध के पूर्व सैनिक तथा उनकी विधवाओं को दी जाने वाली पेंशन 3 हजार रुपये से बढ़ाकर 4 हजार रुपये प्रतिमाह की गई है। बहरोड़ तथा भीलवाड़ा में सैनिक विश्राम गृह का निर्माण करवाया गया और टोंक में नवीन सैनिक विश्राम गृह का निर्माण किया जा रहा है।

79. 1 अप्रेल, 1999 के पश्चात्, आपरेशन विजय तथा अन्य सैन्य अभियानों में शहीद सैनिकों के माता-पिता के नाम से पोस्ट आफिस में खोले जाने वाले स्थायी जमा खाता की राशि को 1 लाख 50 हजार रुपये से बढ़ाकर 3 लाख रुपये किया गया है। शहीद के आश्रितों को भवन व जमीन की ऐवज में देय राशि को 4 लाख रुपये से बढ़ाकर 20 लाख रुपये किया गया है।

80. राज्य में शौर्य पुरस्कार (नकद पुरस्कार और भूमि अनुदान) नियम, 1966 के तहत शौर्य चक्र धारकों को देय नकद पुरस्कार की राशि 6 लाख रुपये से बढ़ाकर 8 लाख 50 हजार रुपये तथा सेना, वायु एवं नौसेना मेडल धारकों को देय राशि 2 लाख रुपये से बढ़ाकर 6 लाख 25 हजार रुपये की गयी है।

81. ग्रामीण आवासीय योजनाओं के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2015-16 में माह नवम्बर, 2015 तक कुल 36 हजार 747 आवासों का निर्माण किया गया है। आगामी वित्तीय वर्ष में 1 लाख 14 हजार 135 नये आवासों के निर्माण का लक्ष्य है।

82. गुरु गोलवलकर जनभागीदारी विकास योजना में वर्ष 2015-16 में 100 करोड़ रुपये का आबंटन किया गया है। माह दिसम्बर, 2015 तक 270 कार्यों पर लगभग 78 करोड़ रुपये व्यय किये जा चुके हैं।

83. महात्मा गांधी नरेगा योजनान्तर्गत इस वर्ष अब तक 38 लाख परिवारों को रोजगार उपलब्ध कराया जाकर कुल 17 करोड़ 68 लाख मानव दिस रोजगार सृजित किया गया है। महात्मा गांधी नरेगा योजना के उत्कृष्ट क्रियान्वयन के लिए राज्य के डूंगरपुर एवं पाली जिले को महात्मा गांधी नरेगा दिवस 2 फरवरी, 2016 को केन्द्र सरकार द्वारा सम्मानित किया गया।

84. राज्य सरकार द्वारा इस योजनान्तर्गत व्यक्तिगत लाभार्थी के कार्य में व्यय की सीमा 2 लाख रुपये से बढ़ाकर 3 लाख रुपये की गयी है तथा प्रत्येक ग्राम पंचायत में अनुमानित लागत 25 लाख रुपये से राशन की दुकान सह खाद्यान्न भण्डार बनाए जाने का निर्णय लिया गया है। योजना को आजीविका से जोड़ते हुए पिछले वर्ष 100 दिवस का रोजगार पूर्ण करने वाले परिवारों के 18 वर्ष से 36 वर्ष के युवाओं को विभिन्न क्षेत्रों में प्रशिक्षण देकर कौशल विकास किया जा रहा है।

85. राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद् द्वारा संचालित परियोजनाओं के अन्तर्गत, आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के परिवारों की महिलाओं को सक्षम व आत्मनिर्भर बनाने के लिये एक स्थायी एवं प्रभावशाली त्रि-स्तरीय सामुदायिक संगठन संरचना का निर्माण किया जा रहा है। सरकार द्वारा कुल 390 करोड़ रुपये व्यय कर लगभग 4 लाख गरीब परिवारों के 34 हजार स्वयं सहायता समूहों को लाभान्वित किया गया है।

86. चौदहवें वित्त आयोग के तहत वित्तीय वर्ष 2015-16 में 1 हजार 471 करोड़ रुपये की राशि पंचायतों को हस्तान्तरित कर दी गई है। इसी प्रकार राज्य वित्त आयोग से 1 हजार 167 करोड़ रुपये की राशि पंचायती राज संस्थाओं को हस्तान्तरित कर दी गई है।

87. स्वच्छ भारत मिशन के अन्तर्गत शौचालय निर्माण में राजस्थान देशभर में प्रथम स्थान पर है। बीकानेर को प्रदेश का पहला खुले में शौच से मुक्त जिला घोषित किया गया है। स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2015-16 में व्यक्तिगत शौचालय निर्माण के लक्ष्य 14 लाख 93 हजार के विरुद्ध 28 दिसम्बर, 2015 तक 15 लाख 25 हजार शौचालयों का निर्माण किया जा चुका है।

88. राजस्थान प्राकृतिक एवं भौगोलिक विषमता के कारण प्राय: अकाल की चपेट में आने से चारा एवं पेयजल की समस्या से ग्रस्त रहता है। अनियमित वर्षा एवं उसके असंतुलित वितरण के कारण फसल उत्पादन प्राय:

असुरक्षित है। वर्षा जल का अधिकतर भाग व्यर्थ में बह जाने से कुंओं का जलस्तर लगातार गिरता जा रहा है। समस्या की गम्भीरता को देखते हुए मुख्यमंत्री जल स्वावलम्बन अभियान प्रारम्भ किया गया है।

89. सम्पूर्ण राज्य में दिनांक 27 जनवरी, 2016 से अभियान के रूप में जल संरक्षण कार्यों का शुभारम्भ किया गया है। इसमें जन प्रतिनिधिगण, धर्मगुरु, सामाजिक व स्वयंसेवी संगठन, दानदाता, कर्मचारीगण एवं आम नागरिकों की सक्रिय सहभागिता सुनिश्चित की गई है। राज्य के 21 हजार गांवों में अगले 4 वर्षों में जल संरक्षण के कार्य करवाये जायेंगे। प्रथम वर्ष में 3 हजार 529 गांवों में 3 हजार 500 करोड़ रुपये के कार्य विभिन्न योजनाओं एवं जन सहयोग के माध्यम से करवाये जा रहे हैं।

90. जलग्रहण क्षेत्र में नवीनतम तकनीकी के उपयोग को भारत सरकार द्वारा सराहना करते हुए राज्य के जलग्रहण एवं भूसंरक्षण विभाग को भारत सरकार द्वारा बेस्ट प्रेक्टीसेज आफ जीआईएस का पुरस्कार प्रदान किया गया है।

91. टोंक जिले की देवली व उनियारा तहसील में पायलट परियोजना के तहत टोल फ्री काल सेन्टर आधारित चल पशु चिकित्सा इकाई संचालित कर विभागीय कर विभागीय सेवाएं उपलब्ध करवाई जा रही हैं। पशुधन निःशुल्क आरोग्य योजनान्तर्गत दवाइयां एवं सर्जिकल कन्ज्यूमेबल्स के प्रभावी पर्यवेक्षण हेतु साफ्टवेयर का लोकार्पण किया गया है। पशु चिकित्सा सेवा विस्तार कार्यक्रम के अन्तर्गत 303 नवीन उपकेन्द्रों की स्थापना एवं 93 उपकेन्द्रों को पशु चिकित्सालयों में क्रमोन्नत किया जा चुका है।

92. प्रदेश में पशु नस्ल सुधार कार्यक्रम के अन्तर्गत वर्ष 2015-16 में 320 एकीकृत पशुधन विकास केन्द्र स्थापित किये जाकर कृत्रिम गर्भाधान के माध्यम से गो एवं भैंस वंशीय पशुओं में नस्ल सुधार का कार्य किया जा रहा है।

93. पशुधन के संरक्षण एवं संवर्द्धन हेतु वित्तीय वर्ष 2015-16 से पशु स्वास्थ्य एवं प्रजनन कार्ड उपलब्ध करवाये जा रहे हैं। इस कार्ड में पशुधन की संख्या के साथ-साथ पशु प्रजनन एवं स्वास्थ्य सम्बन्धित विवरण जैसे पशुओं में टीकाकरण, कृत्रिम गर्भाधान, पशु स्वास्थ्य तथा पशुधन के बीमा सम्बन्धी जानकारियों का संधारण किया जा रहा है।

94. सम्पूर्ण प्रदेश में 29 जून से 13 जुलाई, 2015 तक चलाये गये

राज्यव्यापी सघन टीकाकरण अभियान के दौरान 34 हजार 717 शिविर आयोजित किये गये जिनमें 42 लाख 68 हजार पशुओं का टीकाकरण कर 7 लाख 91 हजार पशुपालकों को लाभान्वित किया गया।

95. प्रदेश के गौ एवं भैंस वंशीय पशुओं को एफ.एम.डी. रोग से मुक्त किये जाने के लिए केन्द्र सरकार के सहयोग से चलाये जा रहे राज्यव्यापी टीकाकरण अभियान के अन्तर्गत अब तक 95 लाख पशुओं का टीकाकरण किया गया है।

96. सरकार ने तस्करी से बचाये गये गौवंश को सहायता प्रदान करने का निर्णय करते हुए पहली बार वित्तीय वर्ष 2015-2016 में 6 करोड़ रुपये का आबंटन किया। प्रदेश के 22 जिलों की उत्कृष्ट गौशालाओं को नकद पुरस्कार एवं प्रशस्ति पत्र दिये गये।

97. राजस्थान को-आपरेटिव डेयरी फेडरेशन का दुग्ध विपणन के क्षेत्र में भारत में चौथा स्थान है। 30 दिसम्बर, 2015 को इंडिया हैबिटेट सेन्टर, नई दिल्ली में आर्थिक अध्ययन संस्थान द्वारा आरसीडीएफ को उद्योग रत्न एवं उत्कृष्टता पुरस्कार से सम्मानित किया गया।

98. दुग्ध उत्पादकों की सामाजिक सुरक्षा हेतु "सरस सामूहिक आरोग्य बीमा योजना" के दशम चरण में दिसम्बर, 2015 तक 47 हजार 800 दुग्ध उत्पादक सदस्यों का बीमा किया गया। सरस सुरक्षा कवच (जनश्री) बीमा योजना के तेरहवें चरण में माह दिसम्बर, 2015 तक कुल 92 हजार 377 सदस्यों का बीमा किया गया है।

99. शहरी क्षेत्रों में आर्थिक दृष्टि से कमजोर व अल्प आय वर्ग के परिवारों को सस्ते आवास उपलब्ध कराने की दृष्टि से "मुख्यमन्त्री जन आवास योजना-2015" प्रारम्भ की गई है। इस योजनान्तर्गत आगामी वर्ष में लगभग 75 हजार आवासों का निर्माण कराये जाने का लक्ष्य रखा गया है। राज्य सरकार द्वारा विभिन्न संस्थाओं को भूमि आबंटन में पारदर्शिता हेतु "राजस्थान के नगरीय क्षेत्रों में विभिन्न उद्देश्यों के लिये भूमि आवंटन नीति-2015" जारी की गयी है।

100. नगरीय विकास विभाग द्वारा रिसर्जेन्ट राजस्थान के तहत विकास में सहयोग करने के लिये आये 56 निवेशकों के साथ आवासीय, संस्थानिक, चिकित्सा, औद्योगिक, पर्यटन एवं अन्य कार्यों के क्षेत्र में 22 हजार 581 करोड़ रुपये के एम.ओ.यू. क़िये गये हैं।

101. राज्य सरकार द्वारा शहरी क्षेत्रों के नागरिकों को राहत पहुंचाने के

लिए बकाया लीज राशि व चालू वर्ष की लीज राशि जमा कराने पर ब्याज में 50 प्रतिशत की छूट दी गई है तथा पूर्व की बकाया एवं एकमुश्त लीज राशि जमा कराये जाने पर लीज राशि पर देय ब्याज में शत-प्रतिशत छूट दिये जाने का निर्णय लिया गया है।

102. राज्य के शहरों के सुनियोजित विकास की दृष्टि से कुल 184 में से 183 शहरों के मास्टर प्लान लागू किये जा चुके हैं। इसके अतिरिक्त राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के अन्तर्गत राजस्थान उप क्षेत्र योजना-2021 लागू की गई है। माउण्ट आबू के पर्यावरण संरक्षण की दृष्टि से ईको सैंसेटिव जोनल प्लान अनुमोदित कर लागू किया गया है।

103. जयपुर मेट्रो परियोजना के 1-बी चरण के अन्तर्गत चांदपोल से बड़ी चौपड़ तक 24 क़िलोमीटर भूमिगत मेट्रो लाइन का निर्माण कार्य प्रगति पर है। शहरी विकास मंत्रालय भारत सरकार द्वारा 27 नवम्बर, 2015 को जयपुर मेट्रो रेल परियोजना (फेज 1 ए) को "बेस्ट अरबन मास ट्रांजिट प्रोजेक्ट" कैटेगरी में कमेंडेबल इमर्जिंग इनिशियेटिव के रूप में विशेष अवार्ड प्रदान किया गया है।

104. जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा आर्थिक दृष्टि से कमजोर व कच्ची बस्तियों के परिवारों के लिए लगभग 6 हजार 900 आवासों का निर्माण पूर्ण किया गया तथा लगभग 1 हजार 800 आवासों का निर्माण कार्य प्रगति पर है। जयपुर शहर में यातायात को सुगम बनाने हेतु दुर्गापुरा एलीवेटेड रोड तथा अजमेर रोड पर बीआर.टी.एस. का निर्माण पूर्ण किया जाकर यातायात प्रारम्भ किया गया। जयपुर के रिंग रोड प्रोजेक्ट हेतु आवश्यक भूमि का कब्जा लिया जाकर निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जा चुका है। प्राधिकरण द्वारा राज्य सरकार के पृथ्वीराज नगर के नियमन हेतु लिये गये निर्णय की अनुपालना में अब तक 20 हजार 780 पट्टे जारी किये जा चुके हैं। आम जन की सुविधा के लिए अनेक नगरीय निकायों द्वारा लैण्ड बैंक की सूचना आनलाइन उपलब्ध करायी गयी है।

105. स्वायत्त शासन संस्थाओं में पार्षद का चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों के लिए न्यूनतम दसवीं तक की शिक्षा, घर में कार्यशील स्वच्छ शौचालय एवं परिवार के खुले में शौच नहीं जाने की अनिवार्यता लागू करने का अध्यादेश 21 जुलाई, 2015 को जारी किया गया।

106. अमृत योजनान्तर्गत राज्य के सात सम्भागीय मुख्यालयों सहित 29 शहरों में मूलभूत सुविधाओं के विकास की योजनाएं लागू की जा रही हैं। अमृत योजना के तहत इन शहरों के विकास के लिए 919 करोड़ रुपये की योजना भारत सरकार द्वारा स्वीकृत की जा चुकी है।

107. राज्य के 188 निकायों में मार्च, 2017 तक एलईडी लाइट लगा दी जायेगी। अब तक 8 शहरों में कार्य पूर्ण हो चुका है तथा कुल 2 लाख पोइन्टस पर एलईडी लाइटें लगाई जा चुकी हैं। नागरिकों के लिए स्थानीय निकायों की सेवाओं को आनलाइन प्रदान करने हेतु स्मार्टराज ई गवर्नेंस प्रोजेक्ट का क्रियान्वयन किया जा रहा है। प्रोजेक्ट की कुल लागत 125 करोड़ है। सभी शहरों में जीआईएस आाधरित मेपिंग व सभी शहरों में लैण्ड बैंक बनाने का कार्य प्रारम्भ हो चुका है। सभी मास्टर प्लाटन जीआईएस प्लेटफार्म पर उपलब्ध कराने की दिशा में झालावाड में पायलेट प्रोजेक्ट प्रक्रियाधीन है। प्रदेश के 122 नगरीय निकायों द्वारा 8 हजार 830 पदों पर सफाई कर्मचारियों की भर्ती की जा चुकी है तथा शेष पदों पर भर्ती की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है।

माननीय सदस्यगण,

108. सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत जनसाधारण को उचित मूल्य दुकानों पर उच्च गुणवत्ता की मल्टी-ब्राण्ड वस्तुएं उचित दर पर उपलब्ध कराने हेतु देश की पहली आधुनिक पीडीएस योजना "अन्नपूर्णा भण्डार" का शुभारम्भ 31 अक्टूबर, 2015 से कर एक नये दौर की शुरूआत की गई है। अब तक प्रदेश में 275 अन्नपूर्णा भण्डार प्रारम्भ किये जा चुके हैं, जिनमें 350 से अधिक उत्पादों की आपूर्ति की जा रही है।

109. सार्वजनिक वितरण प्रणाली में पारदर्शिता लाकर कालाबाजारी को रोकने हेतु Point of Sale के माध्यम से बायोमेट्रिक सत्यापन के बाद खाद्यान्न वितरण करने का निर्णय लिया गया। अब तक 13 हजार 729 उचित मूल्य दुकानों पर यह व्यवस्था की जा चुकी है।

110. राज्य में उचित मूल्य दुकानों, गोदामों, थोक विक्रेताओं तथा के.वी.एस.एस. का डेटाबेस कम्प्यूटरीकृत किया जा रहा है। 1 अप्रेल, 2015 से ई-मित्र के माध्यम से राशन कार्ड आनलाइन जारी किये जाने का कार्य आरम्भ कर दिया गया है। नवीन अथवा डुप्लीकेट राशनकार्ड बनाने एवं राशनकार्ड में सदस्यों के नाम जोड़ने, घटाने एवं त्रुटि सुधार का कार्य ई-मित्र कियोस्क के माध्यम से किया जा रहा है। जिन उपभोक्ताओं के पास एलपीजी सिलेण्डर नहीं हैं, उन्हें जनवरी, 2015 से 3 लीटर के स्थान पर 4 लीटर केरोसीन दिया जा रहा है।

111. राज्य में बाहर से आने वाले वाहनों को राज्य में प्रवेश करते समय चैक-पोस्ट पर टैक्स जमा कराने के लिये आनलाइन टैक्स की गणना एवं नेट बैंकिंग से भुगतान की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। राज्य में बस

टर्मिनल डवलपमेन्ट आथोरिटी का गठन किया जा चुका है। आमजन को सुलभ एवं सस्ती परिवहन सेवा उपलब्ध कराने के लिये अधिसूचित मार्गों पर "राजस्थान लोक परिवहन सेवा" प्रारम्भ की गई है।

112. दूर-दराज के क्षेत्रों में वैधानिक व सुरक्षित परिवहन सेवा उपलब्ध कराने हेतु 189 नये मार्ग खोले गये हैं। विभाग द्वारा सभी प्रकार के कर एवं फीस जमा कराने की सुविधा ई-ग्रास योजना के अन्तर्गत इलेक्ट्रानिक चालान एवं नेट बैंकिंग के माध्यम से उपलब्ध कराई गई है। पूरे राज्य में 2 अक्टूबर, 2015 को ग्राम पंचायत स्तर पर 'सड़क सुरक्षा जन जागृति अभियान' मनाया गया।

113. राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम द्वारा यात्रियों की सुविधार्थ अग्रिम आरक्षण का टिकिट मोबाइल के माध्यम से घर बैठे प्राप्त करने हेतु नया मोबाइल एप प्रारम्भ किया गया है।

114. पर्यटन क्षेत्र में निवेश को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से नवीन पर्यटन इकाई नीति-2015 जारी की गई। नीति के तहत पंजीकृत पेइंग गेस्ट हाउस व 5 कमरों तक के हैरिटेज होटल्स को लग्जरी टैक्स की देयता से मुक्त किया व सभी श्रेणी के होटल्स पर आफ सीजन के दौरान विलासिता कर में शत प्रतिशत की छूट दी गई। इसी प्रकार राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना, 2014 में देय लाभों को प्राप्त करने के लिए होटल या मोटल में निवेश की न्यूनतम सीमा को 5 करोड़ रुपये से घटाकर 2 करोड़ रुपये करते हुए रिसोर्ट तथा कनवेन्शन सेन्टर को भी इस श्रेणी में शामिल किया गया। कन्वर्जन चार्जेज तथा डवलपमेन्ट चार्जेज में शत् प्रतिशत की छूट दी गई।

115. राज्य की इस नीति के फलस्वरूप रिसर्जेन्ट राजस्थान, 2015 के अन्तर्गत पर्यटन क्षेत्र में कुल 139 एम.ओ.यू. निजी क्षेत्र के उद्यमियों के साथ निष्पादित किये गये जिनमें लगभग 6 हजार 277 करोड़ रुपये का निवेश तथा 20 हजार व्यक्तियों को रोजगार संभावित है।

116. पर्यटन मंत्रालय भारत सरकार ने भी स्वदेश योजनान्तर्गत सांभर लेक टाऊन के विकास हेतु 64 करोड़ रुपये स्वीकृत किये हैं। प्रसाद योजनान्तर्गत पुष्कर-अजमेर के समग्र विकास हेतु 40 करोड़ रुपये की परियोजना स्वीकृत की है।

117. पर्यटन के लिए बेहतरीन वातावरण निर्माण हेतु 113 करोड़ रुपये की लागत से 47 परियोजनाओं पर विकास कार्य करवाये जा रहे हैं। पर्यटन विभाग को विभिन्न अन्तर्राष्ट्रीय एवं राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित मार्ट एवं पर्यटन मेलों में 19 पुरस्कार मिले हैं।

118. प्रदेश की ऐतिहासिक विरासत की दृष्टि से महत्वपूर्ण स्मारकों एवं संग्रहालयों पर 31 करोड़ 44 लाख रुपये के संरक्षण एवं जीर्णोद्धार कार्य सम्पादित करवाये गये तथा 5 स्मारकों को संरक्षित घोशित किया गया। आमेर महल व अल्बर्ट हाल, जयपुर में पर्यटकों हेतु रात्रिकालीन पर्यटन प्रारम्भ किया गया। आमेर महल में नि:शुल्क वाई-फाई एवं ''राजस्थानी हाट'' की स्थापना की गई।

119. बूढा पुष्कर फीडर निर्माण अजमेर, श्री करणी माता स्मारक, जिला बीकानेर, लोकदेवता रामदेवजी का स्मारक, जिला जैसलमेर, सुगाली माता एवं स्वतंत्रता संग्राम स्मारक, आउआ, जिला पाली, शौर्य उद्यान (वार मेमोरियल) जिला झुंझुनूं एवं पंडित दीनदयाल उपाध्याय राष्ट्रीय स्मारक धानक्या, जयपुर हेतु कुल 29 करोड़ 88 लाख रुपये की परियोजना स्वीकृत की गयी।

120. राज्य में 11 मंदिरों, खाटू श्यामजी, डिग्गी मालपुरा, चौथमाता, मेहंदीपुर बालाजी, मातृकुण्डिया, बेणेश्वर धाम, रूपनारायण मंदिर, चारभुजा मंदिर, रामदेवरा लुधावरा, सालासर हनुमानजी एवं पुष्कर के विकास कार्यों के लिए मास्टर प्लान बनाये जाने हेतु कार्यादेश जारी कर दिये गये हैं। 18 प्रमुख मंदिरों के आधुनिकीकरण, सुदृढ़ीकरण एवं नवीनीकरण हेतु विस्तृत कार्ययोजना तैयार कराई जा रही है। श्री रूपनारायण सेवंत्री (राजसमन्द), घोटिया अम्बाजी (बांसवाड़ा) मंदिर एवं गोगामेड़ी (हनुमानगढ़) में विकास कार्य प्रगति पर हैं।

121. राज्य में टेम्पल टाउन बनाकर तीर्थाटन के विकास हेतु 13 स्थान चिन्हित किये जाकर व्यापक सर्वेक्षण पश्चात् मास्टर प्लान तैयार करवाये जाएंगे। वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना के अन्तर्गत वर्ष 2015-2016 में कुल 22 हजार 991 आवेदन प्राप्त हुए जिनमें से लाटरी के माध्यम से 10 हजार का चयन किया गया। लद्दाख स्थित सिन्धु दर्शन यात्रा योजना लागू की गई। वर्ष 2014-15 में कैलाश मानसरोवर की यात्रा पर जाने वाले श्रद्धालुओं को 1 लाख रुपये प्रति व्यक्ति यात्रा पश्चात् सहायता राशि प्रदान की गई है।

122. सरकार द्वारा खनिज क्षेत्र के सर्वांगीण विकास हेतु नई खनिज नीति, 2015 घोषित की गई जिसमें खनन पट्टों का आबंटन पारदर्शी तरीके से किये जाने के साथ खनन पट्टाधारियों के विभाग में होने वाले विभिन्न कार्यों का सरलीकरण किया गया है। खनिजों का मूल्य संवर्द्धन तथा खनन क्षेत्र में रोजगार सृजन को प्राथमिकता देने का प्रावधान किया गया है। पारदर्शिता बढ़ाने के लिए खनन रियायतों को नीलामी द्वारा आबंटित किये जाने का

प्रावधान किया गया है। खनन पट्टों के आवेदन पत्र एवं खनिज निर्गमन के रवन्ना आनलाइन देना प्रारम्भ किया गया है। रेन्ट एवं रायल्टी को ई-ग्रास से या ई-मित्र पर जमा कराने की सुविधा प्रदान की गई है।

123. वर्तमान में लगभग 1 लाख 70 हजार बैरल प्रतिदिन खनिज तेल के उत्पादन से राजस्थान देश के भूमीय क्षेत्र में अग्रणी तेल उत्पादक राज्य हो गया है। इस उल्लेखनीय उपलब्धि के फलस्वरूप राजस्थान ने विश्व तेल मानचित्र पर अहम् स्थान बना लिया है ।

124. केन्द्रीय एकीकृत शिकायत निवारण साफ्टवेयर-राजसम्पर्क पोर्टल पर नागरिक सम्पर्क केन्द्र, राजस्थान सम्पर्क केन्द्र एवं ई-मित्र केन्द्रों के द्वारा शिकायत दर्ज करवाई जा सकती है। जन समस्या निवारण की इस सुविधा को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पंचायत स्तर तक अटल सेवा केन्द्रों पर भी क्रियाशील कर दिया गया है।

125. राज्य मुख्यालय के अलावा जिला स्तर पर सूचना प्रौद्योगिकी कार्यालय स्थापित कर दिये गये हैं एवं 5 नवम्बर, 2015 को नवीन सूचना प्रौद्योगिकी नीति, 2015 जारी की गयी है।

126. राज्य के लिए एक ही जीआईएस प्लेटफार्म तैयार कर वर्तमान में राजस्थान के स्मारकों एवं ऐतिहासिक भवनों के लिये थ्री डी माडलिंग/ स्केनिंग का कार्य किया जा रहा है, जयपुर के हवामहल, अल्बर्ट हाल, सिटी पैलेस, जंतर मंतर एवं परकोटे के 7 दरवाजों की थ्री-डी माडलिंग का कार्य पूर्ण कर लिया गया है। शिक्षा तथा चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के लिये जीआईएस आधारित साफ्टवेयर लागू किया जा चुका है।

127. राज्य में 25 हजार से अधिक ई-मित्र कियोस्क के माध्यम से नागरिकों को सरकारी एवं निजी क्षेत्र की 200 से अधिक सेवाएं इलेक्ट्रोनिक माध्यम से उपलब्ध करवाने के साथ मोबाईल एप्लीकेशन के माध्यम से बिजली, पानी एवं मोबाइल के बिल जमा कराने की सुविधा प्रारम्भ की गयी है।

128. विभाग की ई-मित्र परियोजना को स्काच आर्डर आफ, मेरिट, ईलेट्स नालेज एक्सचेंज अवार्ड 2015, राज्य स्तरीय वीडियो कान्फ्रेंसिग परियोजना को स्काच आर्डर मेरिट, आईटी एनेबल्ड भामाशाह परियोजना को स्काच आर्डर आफ मेरिट तथा राजधरा परियोजना को ईएसआरआई अवार्ड, 2015 से पुरस्कृत किया गया।

129. विभाग द्वारा राज्य में पेटेन्ट को बढ़ावा देने हेतु क्षेत्रीय कार्यालय

में पेटेन्ट सुविधा केन्द्र का गठन किया जा चुका है। राज्य में बायोटेक के क्षेत्र में प्रदेश की प्रगति हेतु बायोटेक नीति-2015 जारी की जा चुकी है। जयपुर एवं जोधपुर में भारत सरकार की मदद से दो नये इनोवेशन हब स्थापित किये जायेंगे जिससे नवयुवक वैज्ञानिकों को अनुसंधान में मदद मिलेगी।

130. अजमेर, उदयपुर व भरतपुर में विज्ञान पार्क स्थापित किए जाएंगे। इसी प्रकार राज्य स्तरीय टीबीआई की स्थापना प्रस्तावित है ताकि नवयुवकों को स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध हो सकें। उच्च स्तरीय वैज्ञानिक रिसर्च को बढ़ावा देने के लिए हाईएंडट रिसर्च संस्थानों की स्थापना की जाएगी।

131. सुशासन के लिए सरकार ने राज्य में विद्यमान 18 विभागों के अप्रचलित, अप्रासंगिक एवं निरसन योग्य 61 मूल अधिनियम तथा 187 संशोधन अधिनियम चिन्हित कर इन 248 कानूनों को विधि आयोग का गठन किये बिना मात्र 6 माह की अवधि में निरस्त करने का अभूतपूर्व कार्य किया है।

माननीय सदस्यगण,

132. वर्तमान राज्य सरकार ने युवाओं को रोजगार देने के कार्य को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है। राजकीय क्षेत्र में 75 हजार 954 नियमित नियुक्तियों एवं 4 हजार 511 अनुकम्पात्मक नियुक्तियों सहित कुल 80 हजार 465 नियुक्तियां दी गई हैं तथा कुल 92 हजार 319 पदोन्नतियां भी प्रदान की गयी हैं।

133. अधीनस्थ कार्यालय मंत्रालयिक कर्मचारियों को प्रशासनिक अधिकारी एवं संस्थापन अधिकारी जैसे राजपत्रित पदों पर अनुभव में पूर्ण छूट प्रदान करते हुए सेवा के इतिहास में प्रथम बार पदोन्नतियां दी गई हैं। अनुभव में एक तिहाई छूट प्रदान करते हुए अधिकांश पदों पर पदोन्नतियां प्रदान की जा चुकी हैं। विधवा एवं परित्यक्ता कोटे की आरक्षित सीटों के रिक्त रहने की स्थिति में इन्हीं में से इन्टरचेन्ज से भरे जाने का प्रावधान किया गया है।

134. राजस्थान के युवाओं को कौशल विकास एवं रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने हेतु कौशल, नियोजन एवं उद्यमिता विभाग का गठन कर कार्यशील किया जा चुका है। राजस्थान कौशल एवं आजीविका विकास निगम, आईटीआई, रोजगार मेला तथा विभिन्न विभागों व एजेन्सियों के स्तर पर प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से लगभग 6 लाख युवाओं को कौशल प्रशिक्षण,

स्वरोजगार, उद्यमिता एवं रोजगार के अवसर उपलब्ध कराये गये। कौशल विकास को बढ़ावा देने हेतु औद्योगिक घरानों के सहयोग से विभिन्न पाठ्यक्रम प्रारम्भ किए गए हैं और अब कोई भी जिला ऐसा नहीं है, जहां इस तरह का पाठ्यक्रम संचालित नहीं हो रहा हो।

135. आरएसएलडीसी के कन्वर्जेन्स आधारित कौशल प्रशिक्षण माडल को केन्द्र सरकार ने सराहा है तथा 15 राज्यों के अधिकारियों ने आरएसएलडीसी के प्रशिक्षण केन्द्रों का भ्रमण किया है। रोजगार विभाग द्वारा दिसम्बर, 2015 में प्रत्येक जिला मुख्यालय पर एकदिवसीय कौशल, प्रशिक्षण एवं उद्यमिता शिविर का आयोजन कर 74 हजार आशार्थियों को रोजगार, स्वरोजगार एवं प्रशिक्षण के अवसर उपलब्ध कराकर लाभान्वित किया गया। अक्षत योजना के अन्तर्गत इस वित्तीय वर्ष में नवम्बर, 2015 तक 19 हजार 657 नवीन बेरोजगार भत्ता स्वीकृतियां जारी की गईं।

136. रिसर्जेन्ट राजस्थान पार्टनरशिप समिट नवम्बर, 2015 के दौरान 11 बड़ी कम्पनियों से अनुबन्ध कर आगामी वर्षों में हजारों युवाओं को रोजगारपरक कौशल प्रशिक्षण हेतु मार्ग प्रशस्त किया गया।

137. वाणिज्यिक कर विभाग के व्यवहारियों की सुविधा के लिए राज्य के स्वतंत्र वृत्त कार्यालयों में व्यवहारी सुविधा केन्द्र प्रारम्भ किये गये। ईज आफ डूइंग बिजनेस के अन्तर्गत विभिन्न प्रकार के प्रक्रियात्मक सुधार किये गए हैं। इस क्रम में मनोरंजन कर के लिए भी ई-रिटर्न की सुविधा उपलब्ध करा दी गई है तथा वैट और सीएसटी एक्ट के अन्तर्गत प्रस्तुत की जाने वाली सिंगल रिटर्न के साथ प्रवेश कर व विलासिता कर की रिटर्न का समावेश किया जा चुका है। रिफंड को व्यवहारियों के बैंक खाते में आनलाइन ट्रांसफर की व्यवस्था भी की जा चुकी है। इसके अतिरिक्त वैट 47 और 49 घोषणा पत्रों को मोबाइल फोन एप के माध्यम से भी प्राप्त करने की सुविधा प्रदान की गई है।

138. राज्य में जीएसटी की पूर्व तैयारियों के क्रम में वाणिज्यिक कर विभाग की सूचना एवं प्रौद्योगिकी से सम्बन्धित आधारभूत संरचना का उन्नयन किया जा रहा है तथा इसी कड़ी में राज्य के व्यवहारियों के लिए विभिन्न अधिनियमों के अन्तर्गत एकीकृत पंजीकरण आवेदन पत्र की सुविधा उपलब्ध करा दी गई है। राज्य में जीएसटी के प्रभावी क्रियान्वयन एवं जागरूकता लाने के उद्देश्य से उद्योग समूहों एवं व्यापारिक संगठनों से संवाद हेतु सम्भाग एवं जिला स्तरों पर कार्यशालाओं का आयोजन किया गया।

139. पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग के कम्प्यूटराइजेशन प्रोग्राम के तहत इस वित्तीय वर्ष के दौरान विभाग के 80 उप पंजीयक कार्यालयों को कम्प्यूटरीकृत करने के लक्ष्य के विरुद्ध 31 दिसम्बर, 2015 तक 86 उप पंजीयक कार्यालयों को कम्प्यूटरीकृत किया जाकर विभाग के ई-पंजीयन साफ्टवेयर के माध्यम से दस्तावेजों का पंजीयन कार्य शुरू किया जा चुका है।

140. आम जनता को स्टाम्प पत्रों की सहज उपलब्धता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से निर्धारित लक्ष्य के अनुरूप 31 दिसम्बर, 2015 तक 23 स्वतंत्र उप पंजीयक कार्यालयों तथा 50 पदेन उप पंजीयक कार्यालयों में भी ई-स्टाम्प व्यवस्था प्रारम्भ की जा चुकी है।

141. राजकीय भुगतानों की जानकारी कर्मचारियों, सर्विस प्रोवाईडर्स व तृतीय पक्षकारों को देने हेतु मोबाइल एप विकसित कर ली गई है, जिसके अन्तर्गत कोषालयों के माध्यम से किये गए राजकीय भुगतानों की जानकारी रियल टाइम बेसिस पर उपलब्ध होगी एवं इस हेतु एसएमएस सुविधा भी प्रारम्भ कर दी गई है।

142. राज्य के राजस्व को जमा करवाने हेतु एकीकृत वित्तीय प्रबन्धन प्रणाली के अन्तर्गत ई-राजस्व जमा कराने की प्रक्रिया के साथ एस.बी.आई. ई. पे गेटवे के अन्तर्गत 26 अतिरिक्त बैंक जोड़ने के साथ ही डेबिट कार्ड तथा क्रेडिट कार्ड से जमा करवाने की सुविधा भी नवम्बर, 2015 से प्रारम्भ कर दी गई है।

143. भामाशाह योजना के अन्तर्गत विभिन्न राजकीय योजनाओं के लाभार्थियों को प्रत्यक्ष हस्तान्तरण हेतु आनलाइन कोष प्रणाली (पे-मैनेजर) को भामाशाह पोर्टल के साथ जोड़ दिया गया है तथा इसके अन्तर्गत सामाजिक सुरक्षा पेंशनर्स के उपलब्ध प्रमाणिक आंकड़े के अनुसार मासिक आनलाइन भुगतान किया जा रहा है।

144. वर्ष 2015-16 में राज्य में डोडा पोस्त व्यसनियों को नशामुक्त किये जाने हेतु "नया सवेरा" योजना के तहत 6 करोड़ 59 लाख रुपये का आबंटन किया गया तथा चिकित्सकीय आधार पर परमिटधारी एवं गैर परमिटधारी व्यसनियों के लिए माह दिसम्बर, 2015 तक 313 शिविरों का आयोजन किया जाकर 10 हजार 557 परमिटधारियों को नशामुक्त किया गया है ।

145. सज्जनगढ़ बायोलोजिकल पार्क को, इसमें पूर्व से निर्मित 21 एनक्लोजर्स में उदयपुर एवं अन्य जन्तुआलयों से वन्यजीवों को स्थानान्तरित

कर पर्यटकों के लिए खोल दिया गया है। इसी वर्ष माचिया बायोलोजिकल पार्क, जोधपुर का कार्य भी पूर्ण हो चुका है तथा आमजन के उपयोगार्थ इसे खोला जा चुका है। जोधपुर में बिलाड़ा के खारा तथा ओसियां में रेस्क्यू सेन्टर का निर्माण वर्ष 2015-16 में कराया जा रहा है।

146. इसी वित्तीय वर्ष 2015-16 में रणथम्भौर राष्ट्रीय उद्यान, सरिस्का टाइगर रिजर्व, जवाई बांध कन्जरवेशन रिजर्व के समीपस्थ गांवों में स्थानीय लोगों को 50 प्रतिशत अनुदान पर 12 हजार गैस कनेक्शन दिये जा रहे हैं। अत्यधिक गर्मी के मौसम में वन्यजीवों के लिए पानी की व्यवस्था हेतु कैम्पा योजना के अन्तर्गत 8 करोड़ रुपये व्यय कर 80 जल संरक्षण संरचनाओं एवं गजलर्स का निर्माण कराया जा रहा है।

147. गत वर्षों में किये गये प्रयासों के फलस्वरूप वर्ष 2013 से 2015 की अवधि में उपग्रह से प्राप्त चित्रों के आधार पर भारतीय वन सर्वेक्षण द्वारा किये गये विश्लेषण के अनुसार राज्य में वन आच्छादित क्षेत्र में 85 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है। उदयपुर जिले में पर्यटन को बढ़ावा देने हेतु बागदड़ा क्रोकोडाइल क्षेत्र को आमजन हेतु खोल दिया गया है। इसके अलावा पर्यटकों के भ्रमण हेतु विकसित की गई ईको-टूरिज्म साइटसयथा मेनाल एवं हमीरगढ (भीलवाड़ा), बस्सी एवं सीतामाता (चित्तौड़गढ़), सुन्डामाता (जालौर), गुढ़ाविश्नोईयान (जोधपुर), मुकन्दरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान एवं भैंसरोडगढ़ को पर्यटकों के लिए खोल दिया है।

148. राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल में प्रेषित किये जाने वाले सम्मति आवेदन पत्रों को आनलाइन माध्यम से जमा कराने की सुविधा 19 नवम्बर, 2014 से प्रारम्भ की जा चुकी है । इस हेतु शुल्क भी आनलाइन सुविधा के माध्यम से प्राप्त किये जा रहे हैं।

149. राज्य में उद्यमियों की सुविधा तथा प्रदूषण नियंत्रण कानूनों के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल के दो नये क्षेत्रीय कार्यालय जयपुर एवं भिवाड़ी में स्थापित करने के आदेश हाल ही में जारी किए गये हैं।

150. केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण मण्डल के निर्देशानुसार राज्य में चिन्हित अत्यधिक प्रदूषक उद्योगों के उपचारित वेस्ट वाटर एवं चिमनी से उत्सर्जित गैसों में प्रदूषकों की मात्रा की निगरानी हेतु आनलाइन मानिटरिंग सिस्टम लगाना अनिवार्य कर दिया गया है।

151. भारतीय दण्ड संहिता के अधीन दर्ज अभियोगों में वर्ष 2014 की

तुलना में वर्ष 2015 में 5.86 प्रतिशत की कमी हुई है। इसी प्रकार गत वर्ष की अपेक्षा 2015 में महिलाओं के प्रति अत्याचार में 9.8 प्रतिशत, अनुसूचित जाति के प्रति अत्याचार में 12 प्रतिशत तथा अनुसूचित जनजाति के प्रति अत्याचार में 16 प्रतिशत कमी आई है।

152. महिलाओं की आत्मरक्षा के लिये जिला मुख्यालयों एवं रेंज मुख्यालयों पर प्रशिक्षण देने के लिए राजस्थान पुलिस अकादमी में सभी जिलों से चयनित महिला आरक्षी को प्रशिक्षक के रूप में तैयार कर दिसम्बर, 2015 तक 40 हजार 639 छात्राओं व महिलाओं को आत्मरक्षा का प्रशिक्षण दिया गया। महिला अत्याचारों को रोकने की दिशा में वाट्सअप जैसे सोशल मीडिया साइट्स का सकारात्मक प्रयोग करते हुए वर्तमान में सभी जिलों में इसे जारी कर दिया गया है। सीएलजी के गठन में 10 प्रतिशत महिला सदस्य रखे जाने के निर्देश दिये गये हैं। केस दर्पण नाम से तैयार किये गये साफ्टवेयर के माध्यम से सीआईडी (सीबी) द्वारा अनुसंधानरत अभियोगों की पत्रावलियों का स्टेटस एवं उनका अपडेशन आनलाइन होगा।

153. गौवंश निकासी के स्थानों को चिन्हित कर 12 नवीन पुलिस चौकियां स्थापित की जा रही हैं। राज्य में 799 पुलिस थानों में 2 हजार 465 महिला अधिकारी व कर्मचारी पदस्थापित किए गये।

154. क्षेत्रीय विधि विज्ञान प्रयोगशाला अजमेर एवं बीकानेर में प्रत्येक के भवन निर्माण हेतु राज्य सरकार द्वारा 5-5 करोड़ रुपये स्वीकृत किये गये हैं। क्षेत्रीय विधि विज्ञान प्रयोगशाला भरतपुर में कार्य प्रारम्भ कर सम्भाग स्तर पर जैविक, सीरम, विष व भौतिक खण्ड में जांच सुविधा उपलब्ध करवाई गई है । मुख्य प्रयोगशाला, जयपुर परिसर में पालीग्राफ सेन्टर स्थापित करने के साथ ही फोरेन्सिक ट्रेनिंग एण्ड रिसर्च इन्स्टीट्यूट की स्थापना की गई है।

155. राजकीय वादकरण को नियंत्रित व सुनियोजित करने के उद्देश्य से न्याय विभाग द्वारा लाइट्स साफ्टवेयर के नये संस्करण का लोकार्पण 3 फरवरी, 2016 को किया गया। लाइट्स वेबसाइट में 31 जनवरी, 2016 तक 2 लाख 53 हजार न्यायिक प्रकरण एवं 16 लाख 49 हजार ट्रांजेक्शन विभिन्न विभागों द्वारा दर्ज किये गये हैं।

156. वित्तीय वर्ष 2015-16 में राज्य में विभिन्न स्तर के 46 न्यायालयों की स्थापना की गयी।

157. माननीय सदस्यगण ! इस सत्र में निम्नलिखित विधायी कार्य के साथ-साथ अन्य वित्तीय कार्य सम्पादन हेतु आपके समक्ष विचारार्थ रखे जायेंगे:-

(i) राजस्थान राज्य विद्युत वितरण प्रबंध उत्तरदायित्व विधेयक, 2016

(ii) राजस्थान पंचायती राज (संशोधन) विधेयक, 2016

(iii) सांई तिरूपति विश्वविद्यालय, उदयपुर विधेयक, 2016

158. राजस्थान के खेलों के लिए वर्ष 2014 व 2015 को स्वर्णिम काल कहा जा सकता है। इन दो वर्षों में राज्य के खेलों ने एक नई दिशा की ओर कदम बढ़ाए हैं। इस दौरान राज्य सरकार ने खेल अकादमियां खोलीं, पदक विजेता खिलाड़ियों को नकद पुरस्कार बांटे, अन्तर्राष्ट्रीय स्तर के नामी प्रशिक्षकों और खिलाड़ियों द्वारा राज्य के युवा खिलाड़ियों को प्रशिक्षण दिया, साथ ही, खेल सुविधाओं में भी इज़ाफ़ा किया। सवाई मानसिंह स्टेडियम का सौन्दर्यीकरण भी किया गया।

159. एक ओर जहां खेल अकादमियों का कान्सेप्ट शुरू किया गया, वहीं दूसरी ओर विश्व स्तर के अनेक अन्तर्राष्ट्रीय और नामी खिलाड़ियों द्वारा राज्य के युवा खिलाड़ियों को विभिन्न खेलों का प्रशिक्षण दिया गया। राज्य सरकार के गत दो वर्ष के कार्यकाल के दौरान राजस्थान के 6 खिलाड़ियों ने इंचियान एशियाई खेलों में पदक जीतकर राज्य व देश का अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर मान बढ़ाया है। पदक विजेताओं में तीरंदाज रजत चौहान, कबड्डी खिलाड़ी नवनीत गौतम व सुमित्रा शर्मा ने जहां स्वर्ण पदक जीते, वहीं हैमर थ्रोअर मंजूबाला ने रजत पदक और शूटर शगुन चौधरी व रोवर बजरंगलाल ताखर ने कांस्य पदक जीतकर इतिहास रचा। सुश्री अपूर्वी चंदेला ने भी कामनवेल्थ गेम्स में निशानेबाजी में स्वर्ण पदक जीता। राज्य सरकार द्वारा पदक विजेताओं को कैश अवार्ड बांटे गये। स्वर्ण पदक विजेताओं को 30 लाख रुपये, रजत पदक विजेताओं को 20 लाख रुपये और कांस्य पदक विजेताओं को 10 लाख रुपये के नकद पुरस्कार से नवाजा गया।

160. खेल परिषद् ने पहली बार प्रशिक्षकों और खिलाड़ियों के लिए सर्टिफिकेट कोर्स इन स्पोर्टस् मेडिसिन का 6 महीने का कोर्स शुरू किया है, जो 26 नवम्बर से नियमित रूप से प्रारम्भ किया जा चुका है। राज्य सरकार अगले पांच सालों में खेलों के विकास पर 1 हजार करोड़ रुपये खर्च करेगी। ऐसा पहली बार हो रहा है, जबकि इतना पैसा सिर्फ खेलों के लिए ही खर्च किया जायेगा। प्रदेश के खिलाडियों को प्रोत्साहित करने के लिये राज्य सरकार द्वारा 2013 तक आवेदन करने वाले अन्तर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय व राज्य स्तरीय पदक विजेता 1 हजार 151 खिलाड़ियों को लगभग 6 करोड़ 62 लाख रुपये की पुरस्कार राशि आनलाइन ट्रांसफर कर दी गई है तथा शेष खिलाड़ियों को भी पुरस्कार राशि जल्द से जल्द दे दी जाएगी।

161. वर्ष 2015 में राजस्थान पुलिस ने भी खेलकूद के क्षेत्र में उल्लेखनीय उपलब्धियां अर्जित कीं। उप निरीक्षक श्रीमती सपना ने फेयरफेक्स वर्जीनिया (यू.एस.ए.) में आयोजित हुई वर्ल्ड पुलिस एवं फायर गेम्स-2015 में भाग लेकर 5 किलोमीटर वाक में स्वर्ण पदक प्राप्त किया।

162. सूचना क्रांति के वर्तमान दौर में सोशल मीडिया की उपादेयता को दृष्टिगत रखते हुए सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग में ''सोशल मीडिया प्रकोष्ठ'' का गठन किया गया। यह राज्य सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं एवं महत्वपूर्ण गतिविधियों को, वास्तविक समय के आधार पर आमजन तक फेसबुक, ट्विटर, गूगल प्लस, इंस्टाग्राम, पिंट्रेस्ट और यूट्यूब के माध्यम से प्रसारित कर रहा है।

163. लोकतंत्र के चौथे स्तम्भ मीडिया में कार्यरत पत्रकारों को 10 जुलाई, 2015 से कैंसर, हार्टअटैक जैसी 7 गम्भीर बीमारियों के इलाज के लिए आर्थिक सहायता की राशि 50 हजार से बढ़ाकर 1 लाख रुपये की गई है।

164. राज्य सरकार 'आओ साथ चलें' के मूलमंत्र के साथ प्रदेश के सभी वर्गों, समाजों और समुदायों को साथ लेकर सभी को विकास के पथ पर अग्रसर करने के लिए संकल्पबद्ध होकर कार्य कर रही है।

165. अंत में ऋगवेद के इस मंत्र के साथ मैं अपनी बात सम्पन्न करता हूं:-

आयुर्विश्वायु: परि पासति त्वा पूषा त्वा पातु प्रपथे पुरस्तात् ।
यत्रसते सुकृतो यत्र ते ययुस्तत्र त्वादेव: सविता दधातु ॥

166. अर्थात् सर्वत्र संचरणशील प्राणवायु आपका सभी प्रकार से संरक्षण करे। श्रेष्ठ मार्गदर्शक, सबसे आगे रहने वाले पूषादेव (सूर्य) आपका संरक्षण करें। जिस श्रेष्ठ लोक में पुण्यात्माएं प्रतिष्ठित हैं, सवितादेव आपको भी वहीं प्रतिष्ठित करें।

जय हिन्द